इसे वेबसाईट www.govtpressinp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 अगस्त 2024-भाद्र 6, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

F3-10-2009-सत्रह-M-1

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परीवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय सेवा भरती नियम, 1989 तथा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परीवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय सेवा भरती नियम, 2023 जो राजपत्र दिनांक 4 मार्च, 2024 में प्रकाशित हुए थे, को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एत्दद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः—

नियम

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय—श्रेणी लिपिकीय तथा गैरलिपिकीय सेवा भर्ती नियम, 2024 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिमाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) सेवा के सम्बन्ध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, अनुसूची—एक (क) तथा अनुसूची—एक (ख) के कालम (6) में यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
 - (ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड;
 - (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
 - (घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश;

- (ङ) "सिमिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची—चार (क) तथा अनुसूची—चार (ख) के कालम (5) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली विभागीय पदोन्नित सिमित;
- (च) ''दिव्यांग व्यक्ति'' से अभिप्रेत हैं, वे व्यक्ति, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के उपबंधों के अन्तर्गत आते हैं;
- (छ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डबल्यू.एस)" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपन्न क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 2 जुलाई, 2019 तथा परिपन्न क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 18 जुलाई, 2019 तथा समय—समय पर जारी किसी अन्य आदेश में यथा विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई नगरीक;
- (ज) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 6 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा;
- (झ) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत हैं, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की निरंतर कालाविध तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गयी थी अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था।
 - (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
 - (2) भूतपूर्व सैनिक जो देश की सेना में छह माह तक लगातार सेवा में रहा हो तथा किसी कदाचार के कारण निर्मुक्त नहीं किया गया हो;
 - (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें:—
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण कर लेने पर; सेवोन्मुक्त किया गया हो;
 - (4) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;
 - (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
 - (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो;

- (ञ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ट) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ठ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत हैं, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस--4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ड) ''छंटनी किया गया सरकारी सेवक'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य अथवा किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था:
- (ढ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुस्चियां;
- (ण) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत हैं, कोई जाति या जाति समुदाय अथवा ऐसी जाति या जाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है:
- (त) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन, मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (था) "सेवा" से अभिप्रेत है, लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए) तृतीय श्रेणी लिपिकीय तथा गैरलिपिकीय, सेवा:
- (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।
- 3. विस्तार तथा लागू होना.— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—
 - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक (क) तथा अनुसूची—एक (ख) में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—

सेवा का वर्गीकरण, उनसे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सिम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची—एक (क) तथा एक (ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी: तथा वित्त विभाग के उपबंधों के अनुसार समयमान वेतमान की पात्रता होगी:

परन्तु सरकार, समय—समय पर सेवा में सिम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका.-

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात:--
 - (क) चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा सामान्यतः बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की विशिष्टि अनुमित के साथ आयोजित अन्य चयन परीक्षा द्वारा;
 - (ख) अनुसूची चार (क) तथा अनुसूची चार (ख) के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा में नियुक्त सदस्यों की पदोन्नित द्वारा;
 - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मूल रूप से धारण कर रहे हैं, जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) उप—िनयम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची—एक (क) तथा अनुसूची—एक (ख) में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संखा के अनुसूची—दो (क) एवं दो (ख) में दर्शित प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी।
- (3) उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा जिनकी नियुक्त संविदा आधार पर की गई है, लेकिन ऐसे आरक्षण का लाभ इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों द्वारा केवल एक बार ही उठाया जा सकेगा। समकक्ष या उच्चतर पद पर अनुबंध के आधार पर प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में छूट के हकदार होंगे, वह आयु सीमा आवेदन की तिथि या पद भरने के लिए जारी विज्ञापन में उल्लिखित तिथि के अनुसार सभी छूटों सहित अधिकतम आयु होगी, ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) संविदा पर नियुक्त ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत, जिन्होंने विभाग में सीधी भर्ती के समतुल्य पदों पर पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है या सीधी भर्ती के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत (इनमें से जो भी निम्नतर हों), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी—5—2 / 2018 / 1 / 3, दिनांक 22 जुलाई, 2023 द्वारा संविदा अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यदि एक बार उन्होंने इन अनुदेशों या पूर्व में निर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन आरक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त कर लिया है, तो वे पुनः लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- (5) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका, जिनका कि भर्ती के किसी विशिष्ट अविध के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(6) मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/एपी/एक, दिनांक 2 जुलाई, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ई.डब्ल्यू,एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 क अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को तथा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

7. सेवा में नियुक्ति.-

इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती को तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के सिवाय नहीं की जाएगी।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते.-

सीधी भर्ती के लिए पात्र होने हेतु किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी चाहिए, अर्थात.—

- (1) आयु.— न्यूनतम आयु, ऊपरी आयु तथा ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी परिपन्न के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
 - (क) अभ्यर्थी ने परीक्षा / चयन प्रारंभ होने की तिथि के आगामी जनवरी के प्रथम दिन अनुसूची—तीन (क) तथा अनुसूची—तीन (ख) के कॉलम (3) में यथादर्शित आयु प्राप्त कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथादर्शित आयु प्राप्त नहीं की हो;
 - (ख) यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथलनीय होगी;
 - (ग) विक्रम पुरस्कार धारकों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथलनीय होगी;
 - (घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथलनीय होगी;
 - (ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2024 के अंतर्गत पुरस्कृत अनारक्षित श्रेणी के साथी के संबंध में सामान्य ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) शासकीय/निगम/बोर्ड/स्वशासी निकाय और नगर सैनिक के अधीन कार्यरत पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों तथा आरक्षित श्रेणी के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों और विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा सहित सभी महिला अभ्यर्थियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी:

परन्तु किसी भी संवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा, सभी शिथिलताओं सहित, किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

- (छ) दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विहित किए गए अनुसार शिथिलनीय होगी;
- (ज) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण सेवा की अधिकतम सात वर्ष की सीमा तक, भले ही वह अविध एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह ऊपरी आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;
- (झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवाओं की अविध कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो;
- (ञ) स्वयंसेवी होम गार्ड्स और होम गार्ड्स के गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में, ऊपरी आयु सीमा में इस प्रकार की गई सेवा की अवधि के बराबर शिथिलनीय होगी, परंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं.-

(क) अभ्यर्थी के पास इसके साथ संलग्न अनुसूची—तीन (क) तथा अनुसूची—तीन (ख) में यथादर्शित सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिएः

परन्तु,-

(एक) आपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी, चयन समिति / बोर्ड की अनुशंसा पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त कर सकेगा, जो यद्यपि विहित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता नहीं रखता है, किन्तु जिसने किन्ही अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जिससे कि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र हो; और

- (दो) ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए भी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियाँ प्राप्त की हैं, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा।
- (ख) अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में सम्मिलत होना अनिवार्य होगा।
- (ग) आवेदित पद के लिए अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता का चयन करना होगा, यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में अर्ह हो जाता है, किन्तु वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करता है, तो ऐसी दशा में, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी और अन्य किसी पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा संपूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा।
- (3) फीस.— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/सरकार द्वारा विहित की गई, समय—समय पर यथा पुनरीक्षित, फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरईताएं.—

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड/समिति द्वारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने के लिए उसकी निरर्हता माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्ह होगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, उनमें से एक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात जन्मी हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु ऐसा कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्ह नहीं होगा, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है और अगला प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् होता है, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा के लिए निरर्ह होगाः

परंतु यदि आपराधिक कार्यवाहियां किसी न्यायालय में लिम्बत हैं, तो उसकी नियुक्ति तब तक रोकी जाएगी, जब तक कि ऐसी आपराधिक कार्यवाहियों का निराकरण नहीं हो जाता है।

- (5) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, सेवा के लिए निर्र्ह होगा।
- (6) कोई अन्य कारण, जो राज्य शासन द्वारा विहित किया जाए।

10. पात्रता के संबंध में विनिश्चय.-

परीक्षा/साक्षात्कार के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड/समिति का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी अभ्यर्थी को जिसे निरर्ह कर दिया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. सीधी भर्ती द्वारा अभ्यर्थियों का चयन.-

- (1) सेवा में भर्ती के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे समयांतरों पर आयोजित की जाएगी, जैसा कि शासन आयोग के परामर्श से समय—समय पर अवधारित करे। परीक्षा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी।
- (2) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडें वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की एक पृथक सूची जारी की जाएगी, जिसमें संबंधित आरक्षित प्रवर्गों के पात्र अभ्यर्थियों के नाम भी पृथक—पृथक क्षैतिज आरक्षण के अनुसार सम्मिलित किए जाएंगे।
- (3) यदि कोई आरक्षित प्रवर्ग का अभ्यर्थी, अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग अभ्यर्थी उसकी योग्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग में रखा जाता हैं/जाती हैं तो उसकी गणना अनारक्षित क्षैतिज प्रवर्ग में की जाएगी। इसके पश्चात्, प्रवर्गवार सूची में क्षैतिज आरक्षण केवल संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक अपने—अपने प्रवर्गों में स्थान प्राप्त करने में समर्थ होगें।
- (4) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों, 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों और 27 प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगे। केन्द्र सरकार के संविधान (एक सौ तीनवा संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अनुसार उक्त आरक्षित पदों में दस प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तथा समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1977 के नियम 3 के संशोधित उप—नियम (1) के अनुसार 35 प्रतिशत पद क्षैतिज रूप से एवं कम्पार्टमेंट—वाइस महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

- (5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय ऐसे अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य है, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियां किसी भी रीति से अन्य अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरी जाएंगी।
- (7) राज्य सरकार द्वारा यथा घोषित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के उपबंध क्षैतिज और कंपार्टमेंट वाइस होंगे।

12. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि.—

किसी भी भर्ती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा से 18 माह की अवधि या आगामी वर्ष के परिणामों की घोषणा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए विधिमान्य होगी, इसके पश्चात् अंतिम सूची अविधिमान्य हो जाएगी।

13. सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया और नियुक्ति.-

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग उपाधि / शैक्षणिक, तकनीकी और वृत्तिक अर्हताओं के प्रमाण—पत्रों का सत्यापन करेगा।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों, चरित्र प्रमाण-पत्र और नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

14. परिवीक्षा.--

.

सीधी भर्ती द्वारा सेवा में चयनियत किया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालाविध के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। इस अविध के दौरान प्रथम वर्ष के लिए पद के न्यूनतम वेतनमान की 70 प्रतिशत राशि, द्वितीय वर्ष के लिए 80 प्रतिशत और तृतीय वर्ष के लिए 90 प्रतिशत वेतन के रूप में देय होगी। पद के वेतनमान में वेतन परिवीक्षा अविध के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ होगा।

15. चयन समिति/बोर्ड/आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.—

(1) बोर्ड / आयोग, उन अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों, जैसा कि बोर्ड / आयोग अवधारित करे, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों, जो यद्यपि उस स्तर से अर्ह नहीं है,

किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, बोर्ड/आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में एक सूची शासन को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्व साधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

16. आरक्षण.-

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (वर्टीकल) निम्नानुसार लागू होगा:—

अनुसूचित जनजाति 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत

स्पष्टीकरण --

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया आदर्श आरक्षण रोस्टर, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले राज्य स्तर के पदों/संवर्गों के लिए लागू होगा।

17. क्षैतिज आरक्षण.-

- (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- (ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 एवं दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ / 8 / 2001 / आ0प्र0 / एक (पार्ट) दिनांक 03.07.2018 एवं 17.09. 2018 के अनुसार 6 प्रतिशत क्षेतिज (हारीजेन्टल) आरक्षण दिया जाएगा।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा तृतीय—श्रेणी और चतुर्थ—श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को क्रमशः तृतीय—श्रेणी के पदों के लिए दस प्रतिशत और चतुर्थ—श्रेणी के पदों के लिए बीस प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।

18. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.-

- (1) पदोन्नित की कार्यवाहियां, मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी नियमों / आदेशों के अनुसार होगी।
- (2) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नित हेतु प्रारंभिक चयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसमें अनुसूची—चार(क) और अनुसूची चार(ख) के कालम (5) में उल्लिखित सदस्य होंगे।
- (3) आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नित करने की प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।
- (4) समिति वर्ष में कम से कम एक बार सम्मिलन करेगी।

19. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्ते.-

- (1) नियम 18 के उप—िनयम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को अनुसूची चार (क) और अनुसूची चार (ख) के कॉलम 2 में उल्लिखित उन पदों या सेवाओं पर या किसी अन्य पद या पदों में, जिन्हें शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किया गया हो, उतने वर्ष की, सेवा (मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) पूर्ण कर ली हो तथा जो नियम 18 के उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।
- (2) पदोन्नित के संबंध में चयन का क्षेत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियमों / अनुदेशों के अनुसार होगा।

20. आयोग / बोर्ड के साथ परामर्श.-

विभागीय पदोन्नित समिति की अनुशंसा अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप खंड (ख) के अधीन आयोग / बोर्ड के साथ परामर्श की अपेक्षाओं का अनुपालन समझा जाएगा तथा आयोग / बोर्ड के साथ पृथक से परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

21. चयन सूची.--

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गयी सूची पर विचार करेगा और यदि वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो सूची को अनुमोदित करेगा।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, उसके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा ।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा अंतिम रूप से यथाअनुमोदित सूची अनुसूची—चार (क) और अनुसूची—चार (ख) के कालम (2) में उल्लिखित किए गए पदों से अनुसूची—चार (क) तथा अनुसूची चार (ख) के कॉलम (3) में उल्लिखित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नित के लिए चयन सूची होगी।
- (4) चयनसूची, जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालाविध के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालाविध से परे नहीं बढाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और यदि समिति उचित समझे, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

22. योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.-

(1) योग्य अभियर्थियों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किए गए नियमों/अनुदेशों के अनुसार तैयार की जाएगी। सूची में सिमलित किए गए चयनित अभ्यर्थियों के नाम, ऐसी चयन सूची को तैयार करने के समय वरिष्ठता के आधार पर पदों की सेवा के क्रम में रखे जाएंगे:

परन्तु ऐसा कोई कनिष्ठ व्यक्ति, जो विभागीय पदोन्नति समिति की राय में विशिष्ट रूप से अई और योग्य है, उसे तुलनात्मक रूप से उच्च स्थान दिया जाएगा।

- (2) कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सिम्मिलित है, किन्तु जो सूची की विधिमानता के दौरान पदोन्नत नहीं किया जाता है, उसका उन व्यक्तियों के ऊपर मात्र उसके पूर्व के चयन के आधार वरिष्ठता का दावा नहीं होगा, जिन पर कि पश्चात्वर्ती चयन में विचार जाए।
- (3) यदि यथास्थिति, चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य को अतिष्ठित करना प्रस्तावित हो, तो विभागीय पदोन्नित समिति प्रस्तावित अतिष्ठिति के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा।
- (4) इस प्रकार प्रस्तावित सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित की जाएगी।

23. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.-

(1) चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सेवा के संवर्ग में दर्शित पदों पर नियुक्ति नियम 22 के उप नियम (1) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

- (2) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, विभागीय पदोन्नित समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित होने और प्रस्तावित नियुक्ति के बीच की अविध के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में उसकी नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त बनादे।
- 24. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- 25. शिथिलीकरण.— इन नियमों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती हैं:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नही निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

26. व्यावृत्ति.—

इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

27. निरसन.--

इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पहले प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरिसत नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची—एक (क) (नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या लिपिकवर्गीय संवर्ग-संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	सम्मिलित पदों की के नाम संख्या		वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				प्रवर्ग1		
1.	अधीक्षक	10	तृतीय—श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 4200	आयुक्त, स्वास्थ्य	मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का आदेश क्रमांक
			- '	सातवा वेतनमान लेवल नं.10 (42700—135100)	सेवाएं	एफ-/8.1.2015/नियम/4, दिनांक 7.6.2018 के अनुसार
	7	2:			-	पुनरीक्षत वेतनमान /ग्रेंड पे को 1.1.2016 से क्रियान्वित किया जाएगा तथा नगद लाभ
						1.7.2018 से दिए जाएंगे (अगस्त 2018 में देय)।
					V	काल्पनिक वेतन वृद्धि 01.01. 2016 से 30.06.2018 तक की अवधि के लिए दी जाएगी।
2.	सहायक	5	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2	तदैव	अनुक्रमांक 1 के कॉलम (1)
	अधीक्षक			(9300-34800) + ग्रेड पे 3600		और सामान्य प्रशासन विभाग
			200	सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 9 (36200—114800)		के आदेश क्रमांक एफ / 2. 6/1/व्ही.ए.पी./96 ्दिनांक
		*			Ē	5/7 अक्टूबर, 2006 के सदृश टिप्पणी। दिनांक 1.4.2006 से
						वेतनमान लागू किए गए समझें जाएंगे।
3.	सहायक	25	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1	तदैव	-
1	ग्रेड-1/			(5200-20200) + ग्रेड पे 2800	-	
	सहायक ग्रेड–1			सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक		
	(कुष्ट)			7 (28700—91300)		
4.	सहायक ग्रेड—2	57	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2400	तदैव	
				सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 6 (25300—80500)		
5.	सहायक ग्रेड–3	88	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 1900 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 4 (19500—62000)	तदैव	
6.	सहायक भंडारी (स्टोर कीपर)	1	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 1900 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 4 (19500—62000)	तदैव	

	·			छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1		
1.7	तकनीकी	- 1	तदैव		तदैव	=
1.7.	सहायक (इ.पी.	"	1144	(5200-20200) + ग्रेड पे 1900		
	AND ALL PROPERTY OF THE PARTY O	,		सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक	U.	
	आई.)			4 (19500—62000)		
8.	क्षेत्रीय मूल्यांकन	16	तदैव		तदैव	सामान्य प्रशासन विभाग क
	कार्यकर्ता			छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1		आदेश क्रमांक एफ / 2
				(5200—20200) + ग्रेड पे 2800		6/1/व्ही.ए.पी. / 96 दिनांव
			1	सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक		5/7 अक्टूबर, 2006 वेतनमान
	_			7 (28700—91300)		दिनांक 1.4.2006 से लागू कि
						गए समझें जाएंगे।
				प्रवर्ग—2		
1.	भंडार निरीक्षण	2	तृतीय-श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2	आयुक्त,	
2.5	अधिकारी			(9300-34800) + ग्रेड पे 3600	स्वास्थ्य	
			United States	सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक	सेवाएं	
a a				9 (36200—114800)		2.0
				3 (30200 714000)		सामान्य प्रशासन विभाग क
			1	:4		आदेश क्रमांक एफ / 2
		-		5		6/1/व्ही.ए.पी./96 दिनांव
	वरिष्ठ लेखा			छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2		
2.	परीक्षक	12	तदैव	(9300-34800) + ग्रेड पे 3200	तदैव	5/7 अक्टूबर, 2006। दिनांव
	(कनिष्ठ लेखा			सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक		1.4.2006 से वेतनमान ला
	परीक्षक—6 पद			8 (32800—103600)		किए गए समझें जाएंगे।
	समाहित)		, I	6 (52500 105000)		पुनरीक्षत वेतनमान भविष्य व
1				-		पदोन्नतियों / भर्तियों के लि
			1			लागू होंगे
				छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2		
3.	वरिष्ठ लेखापाल	2	तदैव	(9300-34800) + ग्रेड पे 3200	तदैव	
T.				सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक		
				8 (32800-103600)		
						मध्यप्रदेश शासन, सामान
4.	लेखापाल			छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1		प्रशासन विभाग के परिप
3	(मुख्य लेखापाल	10	तदैव	(5200-20200) + ग्रेड पे 2800	त्तदैव	क्रमांक एफ
- 1	1 पद समाहित)			सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक		6/2015/नियम/4 दिनांव
2.	1 44 tringth			7 (28700—91300)		19.07.2017 के अनुसार प
	-			7 (20700 31000)		संरचना, वेतनमान औ
				-		लिपिकवर्गीय सेवाउ
			-			(लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृंद) व
						पदोन्नति दिनांक 01 जनवर्ष
	1			* _		
						2016 से प्रवृत्त होगी।
5.	कनिष्ठ			छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1	_ 4	
	लेखापाल	2	तदैव	(5200—20200) + ग्रेड पे 2100	तदैव	72.
8	(क्रय) / कनिष्ठ			सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक		
	लेखापाल		1	5 (22100-70000)		
	(भंडार)			5 (22100-70000)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				प्रवर्ग-3		
1.	निज सहायक	13	तृतीय-श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—2 (9300—34800) + ग्रेड पे 3600 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 9 (36200—114800)	तदैव	-
2.	शीघ्रलेखक	5	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1	तदैव	,-
	(हिन्दी) तृतीय–श्रेणी			(5200—20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 7 (28700—91300)		
3.	शीघलेख (अग्रेंजी)	1	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 7 (28700—91300)	तदैव	_
4.	स्टेनोटायपिस्ट	2	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे	तदैव	_
, v				1900 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 4 (19500—62000)		
				प्रवर्ग-4		
1.	उप–सम्पादक	1	तृतीय—श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 6 (25300—80500)	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	- 1
2.	प्रचार सहायक (बी.सी.जी.)	1.	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड1 (5200–20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 6 (25300–80500)	तदैव	
			7	प्रवर्ग5		N X
1.	सहायक प्रोग्रामर	2	तृतीय—श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 7	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	_
			* -	(28700—91300)	0 -	
2.	डा टा एन्ट्री ऑपरेटर	3	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—1 5200—20200 + ग्रेड पे 2100 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 5 (22100—70000)	तदैव	

टीप :- * मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8.6/2015/नियम/4, दिनांक 19.07.2017 के अनुसार नई संरचना में, किनष्ठ अंकेक्षक का वेतनमान लेखापाल के पद के समतुल्य अर्थात् 5200-20200+ ग्रेड पे रू. 2800 किया गया है । विभाग के अधीन 5200-20200+ग्रेड पे रू. 2800 के वेतनमान में किनष्ठ अंकेक्षक के पद की पूर्व स्वीकृति और लेखापाल के पद से उक्त पद पर पदोन्नित के उपबंधों के फलस्वरूप किनष्ट अंकेक्षक के 09 पदों में से 6 पद नए उपबंध के अनुसार लेखापाल के पद से परिवर्तित कर दिए गए हैं। आगामी पदोन्नित वाले पदों को विरष्ठ अंकेक्षक के पद में समाहित करने और शेष 03 पदों को शासन को सौपने का विनिश्चिय किया है।

अनुसूची—एक (ख) (नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या संमागीय/जिला स्तर पर लिपिकवर्गीय

संबंधित संगठन/संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, अधीनस्थ कार्यालय

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कार्यालय अधीक्षक	7	तृतीय-श्रेणी	छटवा वेतनमान पे	क्षेत्रीय संचालक	मध्यप्रदेश शासन व
				बेन्ड2 (9300-34800)		वित्त विभाग क
				+ ग्रेड पे 4200	2=	आदेश क्रमांक एफ / १
				सातवा वेतनमान लेवल		1.2015 / नियम / 4,
	1			화 . 10 (42700—135100)		दिनांक 07 .06.2018
				(पुनरीक्षत वेतनमा
						/ग्रेड पे को 01.0°
	1		5			2016 से कियान्वि
	1					किया जाएगा तथ
					- 1	नगद लाभ 1.7.201
				- 1		से दिए जाएंगे (अगस
						2018 में देय)
						काल्पनिक वेतन वृद्धि
						01.01.2016 से 30.06
						2018 तक की अवधि
						के लिए दी जाएगी।
2.	सहायक अधीक्षक	5	तदैव	छटवा वेतनमान पे	तदैव	तदैव
			, B	बेन्ड-2 (9300-34800)		
				+ ग्रेड पे 3600		
				सातवा वेतनमान लेवल		
				क्र. 9 (36200—114800)		
3.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	4	तदैव	छटवा वेतनमान पे	तदैव	तदैव
				बेन्ड-2 (9300-34800)		
		1	A 1	+ ग्रेड पे 3600		
				सातवा वेतनमान लेवल		
				화. 9 (36200—114800)	4	
4.	प्रबंधक चिकित्सा	1	तदैव	छटवा वेतनमान पे	तदैव	तदैव
- 1	मण्डार	1		बेन्ड-1 (5200-20200)		
				+ ग्रेड पे 2800		
1		- 1		सातवा वेतनमान लेवल	_	
				화 . 7 (28700—91300)		
5.	लेखा परीक्षक (वरिष्ठ	7	तदैव		तदैव	मध्यप्रदेश शासन र
	संपरीक्षक)			छटवा वेतनमान पे		सामान्य प्रशासन विभा
				बेन्ड-2 (9300-34800)		का आदेश क्रमांव
	-			+ ग्रेड पे ३२०० सातवा		एफ-2-6/1/व्ही.ए.
	7d			वेतनमान लेवल क्र. 8	74	पी. / 96, दिनांव
_ 1			×	(32800-103600)		05 / 17 अक्टूबर, 200
1	- 1			(32333 .00000)		और मध्यप्रदेश शासन
						के वित्त विभाग क

i						परिपत्र क्रमांक एफ / 8—6 / 2015 / नियम / 4, दिनांक 19. 07.2017 पद संरचना, वेतनमान और लिपिकवर्गीय सेवाओं (लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृंद) की पदोन्नति 01 जनवरी,
		ļ				2016 से लागू होगी।
6.	शिविर—समन्वयक (कैम्प कोऑर्डीनेटर)	17	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700—91300)	तदैव	_
7.	लेखापाल (एम.डी.टी.)	2	तदैव	छटवा वेतनमान पे	तदैव	
				बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700—91300)		
8.	सहायक ग्रेड–1	92	तर्दैव	छटवा वेतनमान पे	तदैव	
)1 *,1	(मुख्य लिपिक)		Ž	बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700—91300)		
		250	,1			मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विमाग का आदेश क्रमांक एफ-2-6/1/व्ही.ए. पी. /96, दिनांक
9.	लेखापाल	783	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700—91300)	तदैव	05/17 अक्टूबर, 2006 और मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ8–6/2015/ नियम/4, दिनांक 19.
	ē			(07.2017 पद संरचना, वेतनमान और लिपिकवर्गीय सेवाओं (लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृंद) की पदोन्नति 01 जनवरी, 2016 से लागू होगी।
10.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक (जूनियर आडीटर)	7	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल	तदैव	בטוס מ מוין פויוון
				क्र. 6 (25300—80500)		
11.	सहायक लेखापाल	50	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड—1 (5200—20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 6 (25300—80500)	तदैव	

/12.	लेखापाल-सह-भंडारी	436	तदैव	छटवा वैतनमान पे	तदैव	
12.	सह–लिपिक	436	त्तपय		रापप	
4	सह—ालापक			बेन्ड-1 (5200-20200)		
				+ ग्रेड पे 2400		
				सातवा वेतनमान लेवल		
				화 . 6 (25300—80500)		
13.	सहायक	543	तदैव	छटवा वेतनमान पे	तदैव	-
	ग्रेड-2/कैशियर	1	-	बेन्ड-1 (5200-20200)		
	(खजांची)			+ ग्रेड पे 2400		
			6.0	सातवा वेतनमान लेवल		
	1/4	-		क्र. 6 (253 00-80500)		
14.	संगणक (कम्प्यूटर)	336	तदैव	छटवा वेतनमान पे	तदैव	-
				बेन्ड-1 (5200-20200)	E 1	
			Fr 1	+ ग्रेड पे 2100	es r	
				सातवा वेतनमान लेवल		
			2	화. 5 (22100-70000)		
15.	सहायक ग्रेड-3/	901	तदैव		1. क्षेत्रीय संचालक—	
	आहार लिपिक			बेन्ड-1 (5200-20200)	उसके कार्यालय के	
	/सहायक स्टुवर्ड/		7.5	+ ग्रेड पे 1900	पदो के लिए ।	
	लिपिक-सह-			सातवा वेतनमान लेवल		
U = 0	टायपिस्ट / कम्प्यूटर-			क्र. 4 (19500—62000)	स्वास्थ्य अधिकारी	
	सह—लिपिक /			J. 4 (10000 02000)	–जिले के शेष पदों	
	रिकार्ड कीपर			n .	के लिए।	
16.	डायटीशियन	33	तदैव	छटवा वेतनमान पे	क्षेत्रीय संचालक	- 7
	514031141		11.7.7	बेन्ड-1 (5200-20200)		
	1, 3			+ ग्रेड पे 2800		
				सातवा वेतनमान लेवल		
Ť				화. 7 (28700—91300)		
17.	स्टूवर्ड	71	तदैव	छटवा वेतनमान पे	तदैव	मध्यप्रदेश शासन के
	. 8, 0			बेन्ड-1 (5200-20200)		सामान्य प्रशासन
		7-		+ ग्रेड पे 2400 सातवा		विभाग का आदेश
	180			वेतनमान लेवल क्र. 6		क्रमांक / एफ-2-6 / 1
		===		(25300-80500)		्रव्ही.ए.पी. ∕ 96,
				(25300-80500)	50	दिनांक 05/17 अक्टूबर, 2006 और
					7	अक्टूबर, 2006 और मध्यप्रदेश शासन के
_ 1						वित्त विभाग का
				3.5		परिपत्र क्रमांक
		- 1				एफ8-6/2015/
						नियम / 4, दिनांक 19.
	er Th				-	07.2017 पद संरचना,
						वितनमान और लिपिकवर्गीय सेवाओं
					-	। (लिपिकवर्गीय
	2					कर्मचारिवृंद) की
						पदोन्नति ०१ जनवरी,
- 1						2016 से लागू होगी।
	सहायक सांख्यिकीय	131	तदैव	छटवा वेतनमान पे	आयुक्त, स्वास्थ्य	तदैव
18.				बेन्ड-2 (9300-34800)	सेवाएं और शेष पदों	
18.	अधिकारी			448-2 (8300-34600)	11417 0117 111 141	
18.		7-1	1	+ ग्रेड पे 3600	के लिए क्षेत्रीय	
18.						

- 10	सांख्यिकीय अन्वेषक	20	तदैव	छटवा वेतनमान पे	तदैव	मध्यप्रदेश शासन के
19.	l .	20	UMM	बेन्ड-1 (5200-20200)	312.1	रामान्य प्रशासन
	(ई.पी.आई.)			+ ग्रेड पे 2800		विभाग का आदेश
						क्रमांक
				सातवा वेतनमान लेवल		एफ-2-6/1/व्ही.ए.
				क्र. 7 (28700—91300)		पी. / 96, दिनांक
						05 / 17 अक्टूबर,
		10				2006 और मध्यप्रदेश
			_ = =			शासन के वित्त विभाग का परिपत्र
						विभाग का परिपत्र क्रमांक
						क्रमाक एफ8–6 / 2015 /
						नियम / 4, दिनांक 19.
			-			07.2017 पद संरचना,
	10.					वेतनमान और
						लिपिकवर्गीय सेवाओं
						(लिपिकवर्गीय
		-	1 1			कर्मचारिवृंद) की
						पदोन्नति 01 जनवरी,
						2016 से लागू होगी।
20.		11	तदैव	छटवा वेतनमान पे	तदैव	=
	वरिष्ठ संगणक			बेन्ड-1 (5200-20200)		
	(सीनियर कम्प्यूटर)		5.	+ ग्रेड पे 2400		1.
	(कुष्ट) / सांख्यिकीय			सातवा वेतनमान लेवल		
	अन्वेषक (कनिष्ठ)					2 2
		0.5	तदैव	छटवा वेतनमान पे	क्षेत्रीय संचालक—	मध्यप्रदेश शासन के
21.		35	तदय	बेन्ड-1 (5200-20200)	उसके अधीनस्थ पदों	लोक स्वास्थ्य और
	P			4 में ड पे 2800	के लिए	परिवार कल्याण
				1	कालए	विभाग के आदेश
				सातवा वेतनमान लेवल		क्रमांक
	शीघलेखक (हिन्दी)			क्र. 7 (28700—91300)		एफ / 12-44 / 1999
	तृतीय—श्रेणी					्रसत्रह / चिकित्सा−3
						दिनांक 22 अप्रैल,
- 1		DO 1				2006 नए सृजित पदों
					-	की संख्या और
						वेतनमान अनुमोदित।
22.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	79	तदैव	छटवा वेतनमान पे	मुख्य चिकित्सा एवं	
	(डाटा एन्ट्री		-	बेन्ड-1 (5200-20200)	स्वारथ्य अधिकारी	
4.	ऑपरेटर)			+ ग्रेड पे 1900	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
				सातवा वेतनमान लेवल		
				क्र. 4 (19500—62000)		

अनुसूची—दो (क) (नियम ६ देखिए) भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	सैवा में सम्मिलित पदों	सेवा का नाम	पर्दों की कुल	भरे जाने व	वाले कर्तव्य पदों क प्रतिशत	ी संख्या का	टिप्पणियाँ
	के नाम		संख्या	सीधी भरती द्वारा [नियम—6 (एक) (क)]	पदोन्नित द्वारा [नियम—६(एक) (ख)]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम—6 (एक)(ग)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	प्रवर्ग—1	(0)	(,)	(6)
	अधीक्षक	मध्यप्रदेश लोक	10		100 प्रतिशत		
1,	অ ধাধ্যক	मध्यप्रदर्श लाक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	10	-	MANUE OOL		
		(संचालनालय			inc .		
	A1	स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय—श्रेणी लिपिकवर्गीय एवं	=				
		अलिपिकवर्गीय सेवा	17				
2.	सहायक	तदैव	5	(<u>—</u>)	100 प्रतिशत	1.5	-
	अधीक्षक						
							मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग
3.	सहायक ग्रेड–1/ सहायक ग्रेड–1	तदैव	25		75 प्रतिशत		के आदेश क्रमांक/ एफ-2-6/1/व्ही.ए.पी.
	(कुष्ठ)		-				/96, दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के अनुसार
4							बिन्दु क्रमांक 5, 4, 6 के
							परिपेक्ष्य में सहायक ग्रेड–1 कुल स्वीकृत पदी
							ग्रेड-1 कुल स्वाकृत पदा में से सहायक ग्रेड-2 के
		. 2					पच्चीस रिक्त पद
	- 1	2 11			, ×	□	जिन्होंने स्नातक परीक्षा उर्त्तीण कर ली हो और
			3.17			-	पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण
				100			कर ली हो, से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम
							से भरे जाएंगे।
4:	सहायक ग्रेड–2	तदैव	57	_	100 प्रतिशत	=	=
5.	सहायक	तदैव	88	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन
	ग्रेड–3				(चतुर्थ-श्रेणी		मंडल द्वारा दी गई सूची
6.	सहायक भंडारी	तदैव	1	× -	सेवा के लिए	3=3	से योग्यता के आधार पर।
7.:	तकनीकी सहायक (ई.पी.	तदैव	1		पात्र अभ्यथियों से) जिन्होंने		
h.	आई.)		1.0		पुरानी शिक्षा		

					पद्धति के हायर		
7.7		- B			सेकेंण्डरी स्कूल		
				_	प्रमाणपत्र		
		1			परीक्षा पास की		
1					हो या हायर		- T
	1				सेकॅण्डरी स्कूल		
	0				प्रमाण–पत्र		
					परीक्षा (10+2)		
					पद्धति से		
					उर्त्तीण की हो		
	1				तथा नियमित		
	1				सेवा के पॉच		
					वर्ष पूर्ण होना		
					चाहिए।		
8.	क्षेत्रीय	तदैव	16	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत		
	मूल्यांकन					-	
-	कार्यकता						
				प्रवर्ग-2			
1.	भंडार निरीक्षण	तदैव	2		100 प्रतिशत		
	अधिकारी					-:-	
2.	वरिष्ठ लेखा	तदैव	12		७५ प्रतिशत		25 प्रतिशत अधीनस्थ
٤.	परीक्षक	044			10 7774	_	लेखा सेवा के अधिकारियों
	(सीनियर				D	25 प्रतिशत	की प्रतिनियुक्ति द्वारा
							का प्रातानयुक्ति हारा
	ऑडीटर)				100 115011		
3.	वरिष्ट	तदैव	2	-	100 प्रतिशत	=	
	लेखापाल						
4.	लेखापाल	तदैव	10	_	100 प्रतिशत		and the second
5.	कनिष्ठ	तदैव	2	Z	100 प्रतिशत		
	लेखापाल						
	(क्रय) / कनिष्ठ					-	
	लेखापाल						
	(भंडार)					D-1	
				प्रवर्ग3			
1	निज सहायक	तदैव	13	=	100 प्रतिशत		-
2.	शीघ्रलेखक	तदैव	5	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत		
	(हिन्दी)				(रिक्त पद ऐसे		
	तृतीय-श्रेणी	4			स्टेनो टायपिस्ट		
	2	4	8 c,		की पदोन्नति		
					द्वारा भरे		
							-
			See .		जाएंगे जो		
					अपेक्षित अर्हता	-	
					रखते हों। यदि		7
- "					आपेक्षित अर्हता		
					रखने वाले		
					स्टेनो टायपिस्ट		Λή,
					की पर्याप्त		
			-		संख्या उपलब्ध		net of
					नहीं है तो		
					101 6 (1)		

						A	Transfer
1				=	पदोंन्नित कोटे के शेष पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।)		
3.	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	तदैव	1	100 प्रतिशत	-	-	
4.	स्टेनो टायपिस्ट	तदैव	2	100 प्रतिशत	-	-	
				प्रवर्ग-4			
1.:	उप सम्पादक	तदैव	1	-	100 प्रतिशत	1.5	
2.	प्रचार सहायक (बी.सी.जी.)	तदैव	1	100 प्रतिशत			_
				प्रवर्ग-5			
1.	खाटा एन्द्री ऑपरेटर	तदैव	3	100 प्रतिशत		-	_
2.	सहायक प्रोग्रामर	तदैव	2		100 प्रतिशत		

अनुसूची—दो (ख) (नियम 6 देखिए) भर्ती का तरीका

संमाग/जिलास्तर – लिपिकवर्गीय संवर्ग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	सेवा का नाम	पदों की		कर्तव्य पदों क प्रतिशत		टिप्पणियां
			कुल संख्या	सीधी भरती द्वारा [नियम–6 (एक)(क) देखिए]	पदोन्नित द्वारा [नियम—6 (एक)(ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम–6 (एक) (ग)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(ग)] (7)	(8)
1.	कार्यालयं अधीक्षक	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	7	-	100 प्रतिशत	:=>	
		(संभाग / जिला स्तर)					
		तृतीय—श्रेणी लिपिकवर्गीय सेवा		- 1			
2.	सहायक अधीक्षक	त्तदैव	5	-	100 प्रतिशत	-	
3.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	तदैव	4		100 प्रतिशत	-	
4.	प्रबंधक चिकित्सा भण्डार	तदैव	1	-	100 प्रतिशत	.= "	
5.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक (सीनियर ऑडीटर)	तदैव	7		100 प्रतिशत	-	
6.	शिविर समन्वयक (कैम्प कोऑर्डीनेटर)	तदैव	17	-	100 प्रतिशत	_	
7.	लेखापाल (एम.डी.टी.)	तदैव	02	-	100 प्रतिशत	-	
8.	सहायक ग्रेड–1 (मुख्य लिपिक)	तदैव	92	-	100 प्रतिशत	· = '	
9.	लेखापाल	तदैव	783	, =	100 प्रतिशत	-	
10.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक (जूनियर ऑडिटर)	तदैव	7	-	100 प्रतिशत	-	
11,	सहायक लेखापाल	तदैव	50	-	100 प्रतिशत	=	
12.	लेखापाल सह भंडारी सह लिपिक	तदैव	436	1 <u>2</u> 40	100 प्रतिशत	=	1 × ,

₁ 13.	सहायक ग्रेड–2/केशियर	तदैव	543	X = =	100 प्रतिशत	_	
	(खजांची)		,,				
14.	कम्प्यूटर (संगणक)	तदैव	336	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	3
15.	सहायक	तदैव	901	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		विभागीय चतुर्थ श्रेणी
	ग्रेड-3/आहार						कर्मचारियों के लिए
	लिपिक / सहायक						जिन्होंने पुरानी हायर
	स्टुवर्ड / लिपिक-सह			T. 2			सेकेण्डरी या 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत
	–टायपिस्ट / कम्प्यूटरसह–						हायर सेकेण्डरी स्कूल
	लिपिक / रिकार्ड						प्रमाण-पत्र परीक्षा
	कीपर					1.54	उत्तीर्ण कर ली हो
							और जिन्होंने पॉच वर्ष
							की नियमित सेवा पूर्ण
							कर ली हो।
16.	डायटीशियन	त्तदैव	33	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	= 0	
17	स्टूवर्ड	तदैव	71	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत		-
18.	सहायक सांख्यिकीय	तदैव	131	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत		-
	अधिकारी						
19.	सांख्यिकीय अन्वेषक	तदैव	20	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	λ	
	(ई .पी.आई.)				V	_	
20.	वरिष्ठ संगणक	तदैव	11	100 प्रतिशत	_		-
===	(सीनियर						
	कम्प्यूटर) / सांख्यिकीय			-		-	
	अन्वेषक (कनिष्ठ)						
21.	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	तदैव	35	100 प्रतिशत	-		* =
22.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	तदैव	79	100 प्रतिशत	_		_
44.		सम्म	14	DIVINIK UUI			FI E
	(डाटा एन्ट्री					_	
	ऑपरेटर)						

अनुसूची—तीन (क) (नियम ८ देखिए) सीधी मर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की आयु तथा अर्हता लिपिकवर्गीय—संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				प्रवर्ग—1	
1.	सहायक ग्रेड–3 / सहायक भंडारी / तकनीकी सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	अभ्यर्थी को 10+2 पद्धति के अंतर्गत 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तींण होना अनिवार्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड)	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / सी–3–7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 में
91. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	ग			उर्त्सीण होना अनिवार्य है। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है:- (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	अंकित किया गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी. (आई.टी/सी.एस.) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल बी.एस.सी की उपाधि प्रदान की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा
				(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी.से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावयायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण-पत्र।	प्रवत्त बी.एस.सी उपाधि धारक बी.एस.सी की परीक्षा आई. टी/कम्पयूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उर्त्तीण है तो अंक सूची के आधार पर आई. टी/कम्पयूटर सांइस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी. (आई.टी/सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।
				4. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हताएं भी विधिमान्य होंगीः— (एक) बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी. ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी. सी.एस.)/*बी.एस.सी.(आई.टी./सी. एस.)एम.टेक/एम.ई. इत्यादि।	
				(दो) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नलाजी इत्यादि। 5. बी.एस.सी./बी.कॉम. डिग्रीयां जिसमें कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित हैं मान्य नहीं होगी।	

	- 6 \		40	1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य
2.	शीघलेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	1. हायर सकण्डरा स्कूल प्रमाण-पत्र परावा।	प्रशासन विभाग के परिपत्र
Zi	(हिन्दी)			(10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण।	
	तृतीय–श्रेणी			2. मान्यताप्राप्त संस्था / परिषद से 100 शब्द	क्रमांक / सी-3-7 / 2015 / 1 /
	- 0			प्रतिमिनिट की गति से हिन्दी शार्टहेंण्ड	3, दिनांक 29.05.2019 में
		1		उर्त्तीण होने का प्रमाण-पत्र।	अंकित किया गया है कि प्रदेश
		1		 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 	के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी.
		1		आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण	(आई.टी / सी.एस.) के नाम से
				परीक्षा (CPCT) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड)	डिग्री प्रदान नहीं की जाती है,
1				उर्त्तीण होना अनिवार्य है।	अपितु केवल बी.एस.सी की
		_		4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से	
				किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर	उपाधि प्रदान की जाती है। अतः
1	-			डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र परीक्षा उर्त्तीण करना	इस संबंध में स्पष्ट किया जाता
1				अनिवार्य है :	है कि विश्वविद्यालयों द्वारा
1				(एक) यूजी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी	प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक
·					बी.एस.सी की परीक्षा आई.
1	-	-		Ti i	टी / कम्पयूटर साइंस के अंतर्गत
1				(दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी	अन्य विषयों के साध्र अध्ययन
1				मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	कर परीक्षा उर्त्तीण है तो अंक
				(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर	सूची के आधार पर आई.
1 1				की परीक्षा।	
1				(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से	टी / कम्पयूटर सांइस विषय
1		1		मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।	प्रमाणित होने पर बी.एस.सी.
1				(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	(आई.टी / सी.एस.) के समकक्ष
1		1 1		(N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य	मान्य किया जाए।
1				व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	
1 1				7914 (1141)	
1 - 1				(S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त	
1 . 1				एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं	
1				प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण	
1 1				पत्र।	
1		1		5. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर	
1 1		1		डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी	
1 1				विधिमान्य होगी :	f
1				(एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए.	
1 1		1		∕ बी.सी.ए. ∕ एम.एस.सी.(आई.टी.सी.	
1 1		- 2 1			
				एस.) / *बी.एस.सी.(आई.टी. / सी.एस.)	
1 1				एम.टेक / एम.ई.इत्यादि ।	
1		1		(दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित	
1 1		1		पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर	
1		1		सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं	
1 1		1		इंफारमेशन टेक्नालाजी इत्यादि।	
				6. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिसमें	
				कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन	
		1	ft:	सम्मिलित है मान्य नहीं होंगी।	
-	where the second	18 वर्ष	40 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य
3.	शीघ्रलेखक	18 44	40 44	(10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण।	प्रशासन विभाग के परिपत्र
1	(अंग्रेजी)			2. मान्यताप्राप्त संस्था / परिषद से 100 शब्द	क्रमांक / सी-3-7 / 2015 / 1 /
1				प्रतिमिनिट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन	
			}	उर्त्तीण होने का प्रमाण-पत्र।	3, 1दनाक 29.05.2019 म
1				3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा	अंकित किया गया है कि प्रदेश
1		- X		आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण	के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी.
1				परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड)	(आई.टी/सी.एस.) के नाम से
1 1	_			उर्त्तीण होना अनिवार्य है।	डिग्री प्रदान नहीं की जाती है,
1					

F 13.500		7		Ta A Comment of A	
1,			100	4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से	अपितु केवल बी.एस.सी की
			100	किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर	उपाधि प्रदान की जाती है। अतः
				डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र परीक्षा उर्त्तीण करना अनिवार्य है :	इस संबंध में स्पष्ट किया जाता
		1	0.1		है कि विश्वविद्यालयों द्वारा
Ť.		1		(एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी	प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक
		1	-	विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	बी.एस.सी की परीक्षा आई.
- 1		1		(दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी	,
1				मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	टी / कम्पयूटर साइंस के अंतर्गत
1	1			(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर	अन्य विषयों के साध्र अध्ययन
				की परीक्षा।	कर परीक्षा उर्त्तीण है तो अंक
1			V	(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से	सूची के आधार पर आई.
		100		, ,	टी/कम्पयूटर सांइस विषय
				मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।	प्रमाणित होने पर बी.एस.सी.
			V.	(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	1
				(N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा	(आई.टी / सी.एस.) के समकक्ष
1 .		- 1		राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	मान्य किया जाए।
		- × N		(S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त	
1		1		एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं	
		-	-		
		1	£ .	प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA)	
				प्रमाण पत्र।	
1 2 -	1			5. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर	
	1			डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य	
				होगी :	
		-	-	(एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए.	-
		1/25		/ बी.सी.ए. / एम.एस.सी.(आई.टी.सी.	
-				एस.) / *बी.एस.सी.(आई.टी. / सी.एस.)	
				एम.टेक / एम.ई.इत्यादि ।	
				(दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित	
		1 3		पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर	10°
1		- 1		साईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं	1 2
				इंफारमेशन टेक्नालाजी इत्यादि।	
1		1		6. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिलमें केवल	*
		1		कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन	*
2 81				सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।	
4.	क्षेत्रीय मूल्यांकन	21 वर्ष	40 वर्ष	अर्थशास्त्र, गणित वाणिज्य अथवा सांख्यिकीय	
	कार्यकर्ता	- 200	5993	विषय में रनातक उपाधि अथवा बी.ई./बी.टेक	5 1 1
				डिग्र <u>ी</u>	
5.	स्टेनोटायपिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य
				(10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण।	प्रशासन विभाग के परिपत्र
- 5				2. मान्यताप्राप्त संस्था / परिषद से ८० शब्द	क्रमांक / सी-3-7 / 2015 / 1 /
				प्रतिमिनिट की गति से हिन्दी शार्टहेंण्ड।	3. दिनांक 29.05.2019 में
10				3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा	अंकित किया गया है कि प्रदेश
				आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण	के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी.
				परीक्षा (CPCT) प्रमाण–पत्र (स्कोर	
				कार्ड) उर्त्तीण होना अनिवार्य है।	(आई.टी / सी.एस.) के नाम से
				4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से	डिग्री प्रदान नहीं की जाती है,
				किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर	अपितु केवल बी.एस.सी की
200				डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र परीक्षा उर्त्सीण करना	उपाधि प्रदान की जाती है। अतः
				अनिवार्य है :	इस संबंध में स्पष्ट किया जाता
			*	(एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी	है कि विश्वविद्यालयों द्वारा
		- 1	-	भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक
22		1			अन्ता बार्फ जान वार्फ

					A A A A
1,				(दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी	
				भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	टी / कम्पयूटर साइंस के अंतर्गत
50		1		(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर	अन्य विषयों के साथ्र अध्ययन
				= की परीक्षा।	कर परीक्षा उर्त्तीण है तो अंव
				(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से	सूची के आधार पर आई
		1		मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स!	टी / कम्पयूटर सांइस विषय
	:2			(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण	प्रमाणित होने पर बी.एस.सी
	3 3		n.,	परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली	(आई.टी / सी.एस.) के समकध
				अधवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण	मान्य किया जाए।
				परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा	
		1		प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर	
		-		ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट''	
				1	
				(COPA) प्रमाण पत्र।	1
				5. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर	
- 3				डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य	
				होगी :	
				(एक) बी.ई.(सी.एस.ई. / आई.टी.) / एम.सी.	
- 1				ए. / बी.सी.ए. / एम.एस.सी.(आई.टी.	
		- e el		सी.एस.)/*बी.एस.सी.(आई.टी./सी.	
- 5					
				एस.) एम.टेक / एम.ई.इत्यादि ।	
				(दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित	
- 1				पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर	
1			-	साईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं	
- 1				इंफारमेशन टेक्नालाजी इत्यादि।	
- 1				A STANKING OF HANDING STANKING	
				6. बी.एस.सी. / बी.कॉम / डिग्रीयां जिसमें	¥.
- 5			-	कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन	
				सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।	
				l	
				प्रवर्ग-4	
6.	प्रचार सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	प्रवर्ग-4 1. हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र	-
6.		18 वर्ष	40 वर्ष		-
6.	प्रचार सहायक (बी.सी.जी.)	18 वर्ष	40 वर्ष	1. हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक।	-
6.		18 वर्ष	40 वर्ष	1. हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र	-
	(बी.सी.जी.)			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रतकारिता में तीन वर्ष का अनुभव। प्रवर्ग—5	मध्यप्रदेश शासन, सामा-
6.	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री	18 वर्ष 21 वर्ष	40 वर्ष	हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रतकारिता में तीन वर्ष का अनुभव। प्रवर्ग—5 तिहायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण—पत्र परीक्षा	प्रशासन विभाग के परिप
	(बी.सी.जी.)			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रतकारिता में तीन वर्ष का अनुभव। प्रवर्ग—5 तहायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण—पत्र परीक्षा (10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण।	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक / सी–3–7 / 2015 / 1 /
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रत्रकारिता में तीन वर्ष का अनुभव। प्रवर्ग—5 ति हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण—पत्र परीक्षा (10+2) पद्धित के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक / सी–3–7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रवर्ग—5 1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण—पत्र परीक्षा (10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण	प्रशासन विभाग के परिष क्रमांक / सी–3–7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 अंकित किया गया है कि प्रदे
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रवर्ग—5 1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण—पत्र परीक्षा (10+2) पद्धित के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विमाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण—पत्र (स्कोर कार्ड)	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक / सी–3–7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 अंकित किया गया है कि प्रदे के विश्वविद्यालयों में बी.एस.र
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रवर्ग-5 1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धित के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तींण होना अनिवार्य है।	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक / सी–3–7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 अंकित किया गया है कि प्रदे के विश्वविद्यालयों में बी.एस.५ (आई.टी / सी.एस.) के नाम
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रवर्ग-5 1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धित के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तींण होना अनिवार्य है। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक / सी—3—7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 अंकित किया गया है कि प्रदे के विश्वविद्यालयों में बी.एस.ए (आई.टी / सी.एस.) के नाम डिग्री प्रदान नहीं की जाती
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रवर्ग-5 1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धित के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विमाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तींण होना अनिवार्य है। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक / सी—3—7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 अंकित किया गया है कि प्रदे के विश्वविद्यालयों में बी.एस.स (आई.टी / सी.एस.) के नाम डिग्री प्रदान नहीं की जाती : अपितु केवल बी.एस.सी व्
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रवर्ग-5 1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धित के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विमाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तींण होना अनिवार्य है। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उर्त्तीण करना	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक / सी—3—7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 अंकित किया गया है कि प्रदे के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सं (आई.टी / सी.एस.) के नाम डिग्री प्रदान नहीं की जाती हैं अपितु केवल बी.एस.सी व उपाधि प्रदान की जाती हैं। अन
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रवर्ग-5 1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धित के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विमाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तींण होना अनिवार्य है। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उर्त्तीण करना अनिवार्य है:	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक / सी-3-7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 अंकित किया गया है कि प्रदे के विश्वविद्यालयों में बी.एस.स् (आई.टी / सी.एस.) के नाम डिग्री प्रदान नहीं की जाती अपितु केवल बी.एस.सी व उपाधि प्रदान की जाती है। अ इस संबंध में स्पष्ट किया जात
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रवर्ग-5 1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धित के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तींण होना अनिवार्य है। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तींण करना अनिवार्य है: (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक / सी-3-7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 अंकित किया गया है कि प्रदे के विश्वविद्यालयों में बी.एस.स् (आई.टी / सी.एस.) के नाम डिग्री प्रदान नहीं की जाती हैं अपितु केवल बी.एस.सी व् उपाधि प्रदान की जाती हैं। अ इस संबंध में स्पष्ट किया जात है कि विश्वविद्यालयों द्वा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धार
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			1. हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। 2. पत्रकारिता में तीन वर्ष का अनुभव। प्रवर्ग-5 1. हायर सेकंण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धित के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तींण होना अनिवार्य है। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उर्त्तीण करना अनिवार्य है:— (एक) यू,जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक / सी—3—7 / 2015 / 1 / 3. दिनांक 29.05.2019 अंकित किया गया है कि प्रदे के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सं (आई.टी / सी.एस.) के नाम डिग्री प्रदान नहीं की जाती हैं अपितु केवल बी.एस.सी व उपाधि प्रदान की जाती हैं। अ इस संबंध में स्पष्ट किया जात है कि विश्वविद्यालयों द्वा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धार बी.एस.सी की परीक्षा आ
	(बी.सी.जी.) डाटा एन्ट्री			हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक। प्रवर्ग-5 1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धित के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तींण होना अनिवार्य है। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तींण करना अनिवार्य है: (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी	प्रशासन विभाग के परिप क्रमांक_/सी–3–7/2015/1/

).				(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की	
J:				परीक्षा।	सूची के आधार पर आई
				(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से	टी / कम्पयूटर साइस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी
				मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।	(आई.टी/सी.एस.) के समकक्ष
				(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	मान्य किया जाए।
		-		(N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा	Promotes independent contracts (1)
				राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	
- 1				(S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त	
				एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं	
1			1	प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA)	
- 1			1	प्रमाण पत्र।	
				4. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर	
				डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य	
				होगी :-	
				(एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./	
				बी.सी.ए. / एम.एस.सी. (आई.टी.सी.एस.)	
1				/*बी.एस.सी.(आई.टी. / सी.एस.) एम.	
1			1	टेंक / एम.ई.इत्यादि ।	
				(दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित	
		6.1		पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर	
				सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं	
				इंफारमेशन टेक्नालाजी इत्यादि।	
				5. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिसमें	
				कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन	
				सम्मिलत है मान्य नहीं होगी।	
				7. ऑन लाईन डाटा एन्ट्री कार्य का दो वर्ष का	
-				अनुभव।	
Ï				8. मिनी एवं माईक्रो कम्प्यूटर हेंडलिंग का	
	-			अनुभव।	DX
				9. प्रोग्रामिंग भाषा का अनुभव।	

अनुसूची—तीन (ख) (नियम 8 देखिए) सीधे मर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की आयु तथा अर्हता संमागीय/जिला स्तर – लिपिकवर्गीय संवर्ग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा		विहित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
(1)	(2) सहायक ग्रेड-3/आहार लिपिक/सहायक स्टुवर्ड/लिपिक-सह- टायपिस्ट/कम्प्यूटर सह लिपिक/रिकार्ड कीपर	(3) 18 वर्ष		3.	(10+2) पद्धति के अधीन 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण—पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तींण होना अनिवार्य है। निम्निलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण—पत्र परीक्षा उत्तींण करना अनिवार्य है:— (एक) यूजी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (दो) यूजी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र। उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:— (एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.	(6) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपन्न क्रमांक / सी—3—7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 में अंकित किया गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी. (आई.टी / सी.एस.) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल बी.एस.सी की उपाधि प्रदान की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक बी. एस.सी की परीक्षा आई. टी / कम्पयूटर साइस के अंतर्गत अन्य विषयों के साध्य अध्ययन कर परीक्षा उत्तींण है तो अंक सूची के आधार पर आई.टी / कम्पयूटर सांइस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी. (आई.टी / सी. एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।
			==-		एस.) / *बी.एस.सी.(आई.टी. / सी.एस.) एम.टेक / एम.ई.इत्यादि । (दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित	
					पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इनफार्मेशन टेक्नालाजी इत्यादि।	
					बी.एस.सी. /बी.कॉम / डिग्रीयां जिसमें कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।	
2.	कम्प्यूटर (संगणक)	21 वर्ष	40 वर्ष		ाणित, सांख्यिकीय, वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र वेषय में स्नातक अथवा बी.ई./बी.टेक.डिग्री	

` ʃ3.	डायटीशियन	21 वर्ष	40 वर्ष	ा. एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) उत्तीर्ण या बी.एस.	-
5			-	सी. (गृह विज्ञान) द्वितीय-श्रेणी में उत्तीर्ण 2. एक विषय आहार शास्त्र (डाइटिटिक्स) होना	
				अनिवार्य है।	
4.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	वाणिज्य/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय में द्वितीय—श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि)=
	वरिष्ठ संगणक	21 वर्ष	40 वर्ष	अथवा बी.ई. / बी.टेक.डिग्री। सांख्यिकी गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र विषय में	
5.	(सीनियर कम्प्यूटर) / सांख्यिकी य अन्वेषक (कनिष्ठ)	21 44	40 94	द्वितीय-श्रेणी में स्नताकोत्तर उपाधि।	
6.	सांख्यिकीय अन्वेषक	21 वर्ष	40 वर्ष	सांख्यिकीय, गणित, वाणिज्य, अथवा अर्थशास्त्र विषय में द्वितीय—श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।	_
7.	स्टुवर्ड	21 वर्ष	40 वर्ष	बी.एस.सी. गृह विज्ञान जिसमें एक विषय आहार शास्त्र (डाइटिक्स) हो।	
8.	कम्प्यूटर ऑपरेंटर	21 वर्ष	40 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य
	(डाटा एन्ट्री			(10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण।	प्रशासन विभाग के परिपन्न
	ऑपरेटर)			2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा	क्रमांक / सी–3–7 / 2015 / 1 / 3, दिनांक 29.05.2019 र
				(CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उर्त्तीण	अंकित किया गया है वि प्रदेश के विश्वविद्यालयों ग
				होना अनिवार्य है।	बी.एस.सी. (आई.टी / सी.एस.
				3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर	के नाम से डिग्री प्रदान नह
				डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र परीक्षा उर्त्तीण करना	की जाती है, अपितु केवर
	-			अनिवार्य है :-	बी.एस.सी की उपाधि प्रदा
				(एक) यूजी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है वि
			P =	(दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी	विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक बी
	*			मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की	एस.सी की परीक्षा आई टी/कम्पयूटर साइंस व
				परीक्षा।	अंतर्गत अन्य विषयों के साथ
-	-			(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।	अध्ययन कर परीक्षा उर्त्तीप है तो अंक सूची के आधा
	3 417 73			(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	पर आई.टी / कम्पयूट सांइस विषय प्रमाणित हो
	=			(N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	पर बी.एस.सी. (आई.टी/सी एस.) के समकक्ष मान्य किय
		,=		(S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त	जाए।
-)		एक वर्षीय ''कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं	
- 0				प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।	
				- १७ । ४. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर	
			1	डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य	
				होगी:	
2.5				(एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए.	
				/बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.	
				एस.)/*बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)	3 1 1
				एम.टेक / एम.ई.इत्यादि ।	
				(दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित पोलीटेक्निक	
				डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईस/कम्प्यूटर	
3 (एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी	
		i		इत्यादि।	

					- De Se
				5. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिसमें कम्प्यूटर	
1 1 1		-	-	के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है	
1 1				मान्य नहीं होंगी।	
1			1		
			ì	6. ऑन लाईन डाटा एन्ट्री कार्य का दो वर्ष का	
		-		अनुभव।	
				7. मिनी एवं माईक्रो कम्प्यूटर हेंडलिंग का	
1				अनुमव।	
				8. प्रोग्रामिंग भाषा का अनुभव।	
9.	शीघलेखक (हिन्दी)	18 वर्ष	40 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य
1 1	तृतीय—श्रेणी			(10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण।	प्रशासन विभाग के परिपत्र
1 1	તૃતાવ—શ્રુગા			2. मान्यताप्राप्त संस्थाओं / परिषद से 100 शब्द	क्रमांक / सी-3-7 / 2015 / 1
1				प्रतिमिनिट की गति से हिन्दी शार्टहेण्ड	
1					/ 3, दिनांक 29.05.2019 में
1 3				उर्त्तीण होने का प्रमाण-पत्र।	अंकित किया गया है कि
1				3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित	प्रदेश के विश्वविद्यालयों में
1				कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा	बी.एस.सी. (आई.टी / सी.एस.)
					के नाम से डिग्री प्रदान नहीं
1 1				(CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उर्त्तीण	की जाती है, अपितु केवल
4				होना अनिवार्य है।	
					बी.एस.सी की उपाधि प्रदान
5 8				4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से	की जाती है। अतः इस संबंध
1				किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर	में स्पष्ट किया जाता है कि
1				डिप्लोमा / प्रमाणपत्र परीक्षा उर्त्तीण करना	विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त
				अनिवार्य है :	बी.एस.सी उपाधि धारक बी.
				(एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी	
				विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	एस.सी की परीक्षा आई
					टी / कम्पयूटर साइंस के
				(दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी	अंतर्गत अन्य विषयों के साध्य
1			1	मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	अध्ययन कर परीक्षा उर्त्तीण
				(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की	है तो अंक सूची के आधार
N 1				परीक्षा।	
				(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से	
					साइस विषय प्रमाणित होने
				मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।	पर बी,एस.सी. (आई.टी / सी.
				(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	एस.) के समकक्ष मान्य किया
				(N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य	जाएं।
	- 1		l .	व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	
1	±-				
				(S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक	-
1				वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग	
1				असिस्टेंट'' (COPA) प्रमाण पत्र।	
1				5. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर	
1				डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य	
ľ				होगी:-	
ľ	^				
	1			(एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए.	
				/बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी.सी.एस.)	
				/ * बी.एस.सी.(आई.टी. / सी.एस.) एम.	-
				टेक / एम.ई.इत्यादि ।	
				(दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित पोलीटेक्निक	
				(भा) देजाइ.सा.टा.इ.स जनुगायस मास्सरायाय	
				डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईस / कम्प्यूटर	
	t			एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी	
- 1				इत्यादि ।	
1				6. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिनमें कम्प्यूटर	
				के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित	
				है मान्य नहीं होगी।	
				ठ नाम्य नहां हागा। 	

अनुसूची—चार (क) (नियम 14 देखिए) पदोन्नति पद्धति के सदस्य, आवश्यक अनुमव और विमागीय पदोन्नति समिति लिपिकवर्गीय संवर्ग—संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	उस पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना हैं	उस पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की	उस पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हताएं,	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियॉ
		जाना हैं			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			प्रवर्ग—1		
1.	सहायक अधीक्षक / भण्डार निरीक्षण अधिकारी / वरिष्ठ लेखा	अधीक्षक	पॉच वर्ष	1. अपर संचालक / संयुक्त संचालक (प्रशासन)— अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक— सदस्य	
×	परीक्षक / वरिष्ठ लेखापाल			3. उप संचालक (कार्यालय स्थापना)— सदस्य	
				4. प्रशासकीय अधिकारी (कार्यालय स्थापना)— सदस्य सचिव	-
- 19-1 - 19-1	n			 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का समकक्ष अधिकारी सदस्य 	
2.	सहायक ग्रेड-1	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	तदैव	- -
3.	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–1	5 वर्ष	तदैव	3 3 - 3
4.	सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	5 वर्ष	त्तदैव	=
5.	सहायक ग्रेड-3	क्षेत्रिय मूल्यांकन कार्यकर्ता	 गणित, सांख्यिकीय, वाणिज्य, अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक सेवा अनुभव—पांच वर्ष 	तदैव	-
	***************************************	——————————————————————————————————————	प्रवर्ग—2		
1.	वरिष्ठ लेखा	मंडार निरीक्षण अधिकारी	2 वर्ष	तदैव	-
	परीक्षक (विभागीय) / वरिष्ठ लेखापाल	आधकारा			
2.	लेखापाल	वरिष्ठ लेखा परिक्षक / वरिष्ठ लेखापाल	सम्मति पत्र के आधार पर	तदैय	
- H			पुनरीक्षित वेतनमान 9300+34800+3600 ग्रेड—पे देय होगा)		

<i>}</i> 3.	संहायक ग्रेड—2 / कनिष्ठ लेखापाल (क्रय)	लेखापाल	सम्मति पत्र के आधार पर		-
. va	अथवा भण्डारी / सहायक ग्रेड–3	-,≓. · `	(क्रय/भण्डारी) के लिए 3 वा एवं सहायक ग्रेड–3 के लिए 8 वर्ष।	र्व र	
4.	सहायक ग्रेड–3	कनिष्ठ लेखापाल (क्रय अथवा भण्डारी)	 सम्मति पत्र के आधार पर 3 वर्ष का अनुभव लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उर्त्तीण 	तदैव	-
			प्रवर्ग-3		
1.	शीघलेखक (हिन्दी/अग्रेंजी) तृतीय श्रेणी	निज सहायक	5 वर्ष	तदैव	
2.	स्टेंनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक (हिन्दी) द्वितीय—श्रेणी	5 वर्ष शीघलेखक के पद प नियुक्ति के लिए निर्धारि अर्हता (100 शब्द प्रति मिन की गति से) पूर्ण करने पर	ਰ ਟ	मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग क परिपत्र क्रमांव एफ8–6/2015/ नियम/4, दिनांव
			3. ऐसे स्टेनो टायपिस्ट ज शीघलेखक के पद के लि निर्धारित अर्हता पूर्ण नह करते हैं; वे सहायक ग्रेड— के पद पर पदोन्नति हेतु पा होंगे।	ए ज़ी 2	19.07.2017 पर संरचना, वेतनमार और लिपिकवर्गी सेवाओं (लिपिकवर्गी
			6141		कर्मचारिवृद) पदोन्नति 01.01.201 से लागू होगी।
			प्रवर्ग-4		
1.	प्रचार सहायक (बी. सी.जी.)	उप सम्पादक	5 वर्ष	तदैव	
			प्रवर्ग-5		7
1.	खाटा एंट्री ऑपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	(एक) 10 वर्ष (दो) किसी मान्यताप्राप विश्वविद्यालय / संस्थान		-
	_		कम्प्यूटर एप्लीकेशन कोर्स प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा		1 2 2

नोट.— 1. (एक) दिनांक 19.07.2017 को जारी मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8—6/2015/नियम/चार, के अनुसार लिपिकवर्गीय सेवा (लिपिकीय कर्मचारिवृंद) के लिए पदों का सृजन, वेतनमान तथा पदोन्नित से संबंधित संशोधन 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगे।

- (क) दिनांक 19 जुलाई, 2017 को जारी मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ8-6/2015/नियम/चार द्वारा सहायक ग्रेंड-1/लेखापाल/मुख्य लिपिक को 1 जनवरी, 2016 से पे बैंडं-1 का पुनरीक्षित वेतनमान (5200-20200)+2800 ग्रेंड पे स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19 जुलाई, 2017 के अनुसरण में संचालनालय के लेखापाल, जो कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए हैं, वरिष्ठ लेखा परीक्षक के स्वीकृत वेतनमान पे बैंडं-2 (9300-34800)+3200 ग्रेंड पे के पात्र होंगे।
- (ख) दिनांक 19 जुलाई, 2017 के जारी मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ8-6/2015/नियम/चार के अनुसार नवीन संरचना में कनिष्ठ लेखा परीक्षक का वेतनमान पे बैंडं-1 (5200-20200)+2800 ग्रेड पे हैं, जो कि लेखापाल के पद के समतुल्य

किया गया है। पूर्व में किमाग के अधीन पे बैडं—1 5200—20200)+2800 ग्रेड पे के वेतनमान में किनष्ठ लेखा परीक्षक के पद की मंजूरी के कारण तथा लेखापाल के पद से उक्त पद पर पदोन्नित के उपबंध के परिणामस्वरूप नवीन उपबंध के अनुसार किनष्ठ लेखा परीक्षक के 9 पदों को लेखापाल के आगामी पदोन्नित के पद अर्थात् वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद में समाहित किया गया है।

- 2. ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सहायक ग्रेड—3 के पद पर नियुक्ति के लिए वांछित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, को उक्त पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अविध पर इस शर्त के साथ नियुक्ति दी जाए, कि इस अविध में उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण—पत्र (स्कोर कार्ड) उर्त्तीण करना अनिवार्य होगा तथा निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण—पत्र परीक्षा उर्त्तीण करना अनिवार्य होगा,—
 - (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
 - (दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
 - (तीन) डिप्लोमा स्तर की डीओईएसीसी परीक्षा।
 - (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
 - (पाँच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.V.T.C.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय ''कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट''(COPA) प्रमाण पत्र।
- 3. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी विधिमान्य होगी:--
 - (एक) बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.एस.)/*बी.एस.सी. (आई.टी./सी. एस) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि।
 - (दो) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस / कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि।
- 4. बी.एस.सी. / बी.कॉम. की उपाधियां जिनमें कम्प्यूटर का केवल एक विषय सिम्मिलित है, मान्य नहीं होंगी।
- 5. यदि 2 वर्ष की परीक्षण अविध में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह अर्हता प्राप्त नहीं कर ली जाती है, तो उन्हें उनके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावार्तित कर दिया जाएगा।
- 6. 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपरोक्त शर्त से छूट प्रदान की जाएगी।

अनुसूची—चार (ख) (नियम 14 देखिए) पदोन्नति पद्धति के सदस्य, आवश्यक अनुमव और विमागीय पदोन्नति समिति संमाग /जिला स्तर का लिपिकवर्गीय संवर्ग संघालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, के अधीनस्थ कार्यालय

अनुक्रमांक	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना हैं	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना हैं	उस पद के लिए जिससे कि पदोन्नति की जाना हैं अनिवार्य अर्हताएं	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,	सहायक	कार्यालय अधीक्षक	5 वर्ष	संमागीय पदोन्नति समिति 1. वरिष्ठत्म मुख्य चिकित्सा एवं
	अधीक्षक / कनिष्ठ लेखाधिकारी / लेखा परीक्षक (सीनियर ऑडिटर)			स्वास्थ्य अधिकारी — अध्यक्ष 2. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं मलेरिया या कुष्ठ अधिकारी ग्रेड—1 — सदस्य 3. जिला परिवार कल्याण सह
				स्वास्थ्य अधिकारी— सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग का समकक्ष अधिकारी— सदस्य
2.	लेखापाल / सहायक	सहायक	(1) 3 वर्ष	तदैव
	ग्रेड—1 (मुख्य	अधीकक्ष / कनिष्ठ	(2) कनिष्ठ ले खाधिकारी/लेखा	
	लिपिक) / शिविर	लेखाधिकारी / लेखा	परीक्षक (सीनियर ऑडिटर) हेतु लेखा	
	समन्वयक (केम्प	परीक्षक(सीनियर	प्रशिक्षण उर्त्तीण	
	कोआंर्डिनेटर)/ लेखापाल (एम.डी.टी.)	ऑडिटर)		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3.	सहायक	लेखापाल / सहायक	(1) 1 वर्ष।	तदैव
	ग्रेड–2/स्टुवर्ड/केशि	ग्रेड–1 (मुख्य	(2) लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उर्त्तीण	
	यर (खजांची) / सहायक	लिपिक) / शिविर	(लेखापाल / लेखापाल(एम.डी.टी.) पद	
	लेखापाल / कनिष्ठ	समन्वयक	हेतु	
	लेखा परीक्षक (जूनियर	(केम्प–कोऑर्डिनेरट)/		
	ऑडिटर)/लेखापाल	प्रबंधक चिकित्सा		
- 1	सह भण्डारी सह लिपिक	भण्डार <u>/लेखापाल</u> (एम. डी.टी.)		
4.	सहायक	सहायक	5 वर्ष	तैदव
	ग्रेड–3 / सहायक	ग्रेड-2/स्टुवर्ड/केशियर		
	सटुवर्ड (स्टूवर्ड	(खजांची) / सहायक		
	जूनियर)/ लिपिक सह	लेखापाल / कनिष्ठ लेखा		
	टायपिस्ट / कम्प्यूटर	परीक्षक (जूनियर		
	सह लिपिक	ऑडिटर)/लेखापाल सह		
		भण्डारी सह लिपिक	A	
5.	सहायक ग्रेड–3 / लिपिक सह	संगणक (कम्प्यूटर)	3 वर्ष	तदैव
	टायपिस्ट/कम्प्यूटर सह लिपिक		. 110	

1 6.	सहायक स्टुवर्ड (स्टुवर्ड	स्टुवर्ड	5 वर्ष	तदैव
è	जूनियर)			No. of Assessment
7	स्टुवर्ड	डायटीसियन	5 वर्ष	तदैव
8.	सांख्यिकी	सहायक सांख्यिकीय	(एक) 3 वर्ष सांख्यिकीय	संचालनालय पदोन्नति समिति
	अन्वेषक / वरिष्ठ संगणक (सीनियर कम्प्यूटर) / क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता / लेखापाल	अधिकारी	अन्वेषक / क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता / लेखापाल (संचालनालय) के लिए (दों) 5 वर्ष सीनियर	अपर संचालक / संयुक्त संचालक (प्रशासन)—अध्यक्ष संयुक्त संचालक—सदस्य उप संचालक (कार्यालय स्थापना)—सदस्य
	(संचालनालय)		संगणक / सांख्यिकीय अन्वेषक (कनिष्ठ) के लिए	4. प्रशासकीय अधिकारी (कार्या.स्था.)—सदस्य सचिव 5. अनुसूचित जाति /अनुसूचिव जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्य का समकक्षीय
		N.		अधिकारी—सदस्य
9.	सीनियर संगणक / सांख्यिकीय अन्वेषक (कनिष्ट)	सांख्यिकीय अन्वेषक	3 वर्ष	संचालनालय पदोन्नित समिति 1. वरिष्टत्म मुख्य चिकित्र एवं स्वास्थ अधिकारी—अध्यक्ष
				 उप संचालक, स्वास्थ सेवाएं मलेरिया या कुष अधिकारी ग्रेड-1-सदस्य जला परिवार कल्याण स स्वास्थ्य अधिकारी-सदस्य
				 अनुसूचित जाति/अनुसूचि जनजाति/अन्य पिछडा व का समकक्षी अधिकारी–सदस्य

- नोट.—1. ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सहायक ग्रेड—3 के पद पर नियुक्ति के लिए वांछित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, को उक्त पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अविध पर इस शर्त के साथ नियुक्ति दी जाए कि इस अविध में उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण—पत्र (स्कोर कार्ड) उर्त्तीण होना अनिवार्य होगा तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण—पत्र परीक्षा करना उर्त्तीण करना अनिवार्य होगा तथा निम्नलिखित संस्था से डिप्लोमा प्राप्त करना अनिवार्य होगा,—
 - (एक) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. डिप्लोमा ।
 - (दो) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. डिप्लोमा।
 - (तीन) डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
 - (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
 - (पाँच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय ''कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट''(COPA) प्रमाण पत्र।
 - 2. उक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता मी मान्य होगी :--
 - (एक) बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.एस.)/#बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि।

- (दो) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस / कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन प्रौद्योगिकी इत्यादि।
- 3. बी.एस.सी. / बी.कॉम. / डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।
- 4. यदि 02 वर्ष की परीक्षण अविध में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह अर्हता प्राप्त नहीं कर ली जाती है, तो उन्हें उनके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावार्तित कर दिया जाए।
- 5. 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त शर्त से छूट प्रदान की जाएगी।

अनुसूची--(पॉच)

अनुसूची-एक (क) और (ख) में उल्लिखित पदों की वरिष्टता के प्रयोजन के लिए जिला, संभाग, राज्य प्रवर्ग में वर्गीकरण

जिला स्तर	क्रमांक	संमाग स्तर	क्रमांक.	राज्य स्तर
निरंक		अनुसूची—1(ख)		अनुसूची–1 (क) के समस्त
	1.	लेखापाल	1,	कार्यालय अधीक्षक (संभाग)
	2.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	2.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी
	3.	सहायक लेखापाल	3.	सहायक अधीक्षक
	4.	लेखापाल– सह– स्टोर कीपर– सह– लिपिक	4.	प्रबंधक मेडीकल स्टोर
	5.	सहायक ग्रेड-2/केशियर	5.	वरिष्ठ अंकेक्षक
	6.	संगणक	6.	केम्प समन्वयक
	7.	सहायक ग्रेड-3/स्टोनो टायपिस्ट/आहार	7.	लेखापाल (एम.डी.टी.)
		लिपिक / सहायक स्टु <u>वर्ड / संगणक-सह</u> लिपिक / लिपिक सह-टायपिस्ट / रिकॉर्ड कीपर		
	8.	स्टुवर्ड	8.	सहायक ग्रेड—1 (मुख्य लिपिक
	9.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	9.	आहार विशेषज्ञ
			10.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
			11.	सांख्यिकीयय अन्वेषक
			12.	वरिष्ठ संगणक (कुष्ठ)
	İ		13.	शीघ्रलेखक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मयंक अग्रवाल, उपसचिव. F-3-10-2009-XVII-M-1

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Directorate of Health Services) Class-III Ministerial Service Recruitment Rules, 1989 and the Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Directorate of Health Services) Class-III Clerical and Non-Clerical Service Recruitment Rules, 2024, which was published in the Official Gazette dated 4th March, 2024, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Directorate of Health Services) Class-III Clerical and Non-Clerical Service Recruitment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Appointing Authority", in respect of the service means the authority as specified in column (6) of Schedule-I (A) and Schedule-I (B);
 - (b) "Board" means the Madhya Pradesh Employees Selection Board;
 - (c) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

- (d) "Commissioner" means the Commissioner, Health Services, Madhya Pradesh;
- (e) "Committee" means the Departmental Promotion Committee consisting of such members as specified in column (5) of Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B);
- (f) "Disabled Persons" means those persons who are covered under the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);
- "Economically Weaker Section (E.W.S.)" means a citizen of economically weaker section as specified by Circular No. F-07-11/2019/आप्र/one dated 2nd July, 2019 and Circular No. F-07-11/2019/आप्र/one dated 18th July, 2019 of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department any other order issued, from time to time;
- (h) "Examination" means an examination organized for recruitment under clause (a) of sub-rule (1) of rule 6;
- "Ex-serviceman" means a person who belongs to any of (i) the following categories and was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the reduction in normal due to economy unit or establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of employment otherwise for application made Government Service.

- (1) ex-serviceman released under mustering out concession;
- (2) ex-serviceman who was employed for more than six months continuously in army of country and not released due to any misconduct;
- (3) ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) completion of short term engagement;
 - (b) fulfilling the conditions of enrolment;
- (4) ex-personnel of Madras Civil Units;
- (5) officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc. or they are unlikely to become efficient soldiers;
- (j) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (k) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (l) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
- (m) "Retrenched Government Servant" means a person who was in a temporary Government Service of this State or of any constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment

- exchange or an application made otherwise for employment in Government Service;
- (n) "Schedule" means Schedules appended to these rules;
- (o) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within such caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (p) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (q) "Service" means the Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Directorate of Health Services)

 Class-III Clerical and Non-Clerical Service;
- (r) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

- 4. Constitution of the service. The service shall consist of the following persons, namely:-
 - (1) persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the posts specified in Schedule-I (A) and Schedule-I (B);
 - (2) persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Pay Scale, etc.-

The classification of the service, pay scale attached thereto and the number of posts included in the service shall be as specified in Schedule-I (A) and Schedule-I (B) and shall be eligible for time pay scale under the provisions of the Finance Department:

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.-

- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely:-
 - (a) by selection, by direct recruitment generally through competitive examination organized by the Board or by other selection examination conducted with the specific permission of the General Administration Department;
 - (b) by promotion of members appointed in the service as specified in column (2) of Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B);
 - (c) by transfer of such persons holding in their substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the State Government.

- (2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II (A) and Schedule-II (B) of the number of duty posts specified in Schedule-I (A) and Schedule-I (B).
- (3) Fifty percent of the total number of persons recruited under clause (a) of sub-rule (1) shall be reserved for those persons who have been appointed on contractual basis, but the benefit of such reservation may be availed only once by the persons belonging to this category. For the period of service rendered on contractual basis in an equivalent or higher post, the candidates shall be entitled to relaxation in the upper age limit and that age limit shall be the maximum age including all relaxations as on the date of application or as per the date mentioned in the advertisement issued to fill the post, the upper age limit shall not exceed 55 years.
- officers/employees who have completed 5 years of continuous service on contractual posts equivalent to regular posts of direct recruitment in the department or up to 50% of the vacant posts of direct recruitment in the department (whichever is less), shall be reserved for appointment of contractual officers/employees vide the circular of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department No. C-5-2/2018/1/3, dated 22nd July, 2023. Once they have taken advantage of the reservation facility under these instructions or the

- earlier instructions referred to, they shall not be eligible for the benefit again.
- (5) Subject to the provisions of these rules, the method of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government/ Appointing Authority.
- The reservation for Economically Weaker Section (6)(E.W.S.) shall be given 10% vide circular issued by the of Madhya Pradesh, General Government F-07-Administration Department No. 11/2019/आ.प्र./one, dated 2nd July, 2019. Similarly the reservation shall also be granted to the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the article 341 and 342 of the Constitution of India and reservation for the Other Backward Classes shall be in accordance with the Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time.

7. Appointment to the service.

All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made after selection except by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.

In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age.-

The minimum age, upper age and relaxation in upper age limit shall be, as determined by the State Government as per the circular issued by the General Administration Department, from time to time.

- (a) The candidate must have attained the age as shown in column (3) of Schedule-III (A) and Schedule-III (B) and not attained the age as shown in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following date of commencement of the examination/selection;
- (b) the upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category;
- (c) in regard of Vikram Award holders, the upper age limit shall be relaxable up to 5 years;
- (d) in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997 the upper age limit shall be relaxable up to 10 years for women candidates;
- (e) the general upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of a partner belonging to unreserved category who has been awarded under the Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan

Yojna, 2024 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department, Madhya Pradesh;

(f) in respect of the male and female candidates working under the Government/ Corporation/ Board/ Autonomous body and Nagar Sainik and male and female candidates belonging to reserved category and all female candidates including widow/ abandoned/ divorced, the maximum age limit shall be 45 years:

Provided that the maximum age limit for any cadre including all relaxations in any case shall not exceed more than 45 years;

- (g) the upper age limit regarding disabled candidates shall be relaxable as the State Government may prescribe from time to time;
- (h) a candidate, who is a Retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;
- (i) a candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age, the period of all defence services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

of voluntary Home Guards and non commissioned officers of Home Guards equal to the period of service rendered so but in no case their age should exceed 45 years.

(2) Educational Qualifications.

(a) The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in the Schedule-III (A) and Schedule-III (B) appended hereto:

Provided that-

- in exceptional cases, the Appointing (i)Authority may, on the recommendation of the Selection Committee/ Board, appoint candidate who, although does not possess any of the prescribed qualifications but has passed the examinations conducted by other Institutions at such a level. So that in the opinion of the Appointing Authority the candidate is eligible for selection; and
- (ii) such candidates, who are otherwise qualified but have obtained degrees from Foreign Universities not specifically recognized by the Government, may also

be considered for selection at the discretion of the Appointing Authority.

- (b) It shall be mandatory for the candidates to appear in the selection examination conducted by the Board.
- (c) For the post applied for, the candidates shall have to choose their preference, if a candidate qualifies in the selection examination conducted by the Board, but does not fulfill the prescribed criteria for appointment then in such a case, his/her candidature shall be rejected and shall be non-transferable to any other post and the entire responsibility shall be on the concerned candidate.

(3) Fees.-

The candidates must pay the fees prescribed by the Appointing Authority/Government, as revised from time to time.

9. Disqualifications.-

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority/ Board/ Committee to disqualify him from appearing in the examination/selection.
- (2) Any candidate, who has married earlier to the minimum age fixed for marriage shall be disqualified for appointment in the service or on any post.
- (3) Any candidate, who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001 shall not be eligible for the service or post:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who already has one living child and next delivery takes place on or after the 26th day of January, 2001, in which two or more than two children are born.

(4) Any candidate, who has been convicted for any offence against woman shall be disqualified for appointment in the service:

Provided that if criminal proceedings are still pending in a court, his appointment shall be kept on hold until disposal of such criminal proceedings.

- (5) Any male candidate, having more than one living wife and any female candidate who married to a person who already has a living wife shall be disqualified for service.
- (6) Any other reason, as prescribed by the State Government.

10. Decision regarding eligibility.-

The decision of the Appointing Authority/ Board/ Committee regarding the eligibility of a candidate for examination/interview shall be final and no candidate who has been disqualified shall be permitted for the examination/interview.

11. Selection of Candidates by direct recruitment.-

(1) For the recruitment to the service, competitive examination shall be held at such intervals, as the Government may from time to time determine in consultation with the Commission. Examination shall

- be conducted in accordance with the orders issued by the State Government.
- (2) After releasing the joint open list giving the benefit of reservation, a separate list of successful candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be released in which the names of eligible candidates of the respective reserved category shall also be included as per horizontal reservation separately.
- (3) If any reserved category candidate i.e. Female/Ex-Serviceman, disabled candidate is placed in the unreserved category on the basis of his/her merit, then he/she shall be counted in the unreserved horizontal category. After this, horizontal reservation in the category wise list shall be given only to the candidate of the respective category. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Disabled Persons and Ex-Serviceman shall be able to get seats in the respective category.
- (4) For the direct recruitment, the 16% posts shall be reserved for Scheduled Castes, 20% posts for Scheduled Tribes and 27% posts for Other Backward Classes candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994). In the said reserved posts, 10% posts shall be reserved for Economically Weaker Sections (E.W.S.) as per the

provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 of the Central Government and 35% posts shall be reserved horizontally and compartment-wise for the female candidates as per the provisions of the amended sub-rule (1) of rule 3 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for the Appointment of Women) Rules, 1977 as amended from time to time.

- (5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the select list without considering their relative position in comparison to other candidates.
- (6) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, then the remaining vacancies shall not be filled by other candidates in any way.
- (7) The provisions for reservation for disabled persons as declared by the State Government shall be horizontal and compartment-wise.

12. Period of validity of the final list of successful candidates.-

The final list of successful candidates in the examination in any recruitment year shall be valid for a period of 18 months from the date of declaration of the final list or the declaration of the results of next year's

j ·

examination, whichever is earlier, after that the final list shall be invalid.

13. Process of verification of certificates of successful candidates and appointment.-

- (1) On the basis of the final list of successful candidates in the examination, the Department shall verify the degrees/ certificates of educational, technical and professional qualifications.
- (2) As per the guidelines issued by the General Administration Department, it shall be the responsibility of the appointing officer to ensure the necessary action regarding verification of candidate's certificates, character certificate and appointment.

14. Probation.-

Every person selected in service by direct recruitment shall be appointed on probation for a period of three years. During this period an amount of 70% for 1st year, 80% for 2nd year and 90% for 3rd year of minimum pay-scale of the post shall be payable as the stipend. The pay in the pay-scale of the post shall be started after successful completion of the probation period.

15. List of candidates recommended by the selection Committee/ Board/ Commission.-

(1) The Board/Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Board/Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes,

Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard are declared by the Board/Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

- (2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appeared in the list.
- (3) The inclusion of candidate's name in the list shall confer no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment in the service.

16. Reservation.-

According to the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the reservation (vertical) for the candidates shall be applicable:-

Scheduled Tribes - 20 %

Scheduled Castes - 16 %

Other Backward Classes - 27 %

Explanation.— Model reservation roaster issued by the General Administration Department shall be applicable for the State level posts/ cadres to be filled through direct recruitment.

17. Horizontal Reservation.

- (a) The women candidates shall be given 35% reservation as per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (c) The ex-serviceman belonging to Madhya Pradesh shall get (horizontal reservation) 10% reservation for Class-III and 20% for Class-IV, respectively according to the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and posts, Class III and Class IV) Rules, 1985.

18. Appointment by promotion.-

- (1) Promotion proceedings shall be as per the rules/ orders issued from time to time by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.
- (2) A Committee shall be formed to make preliminary selection for promotion of eligible candidates which

- shall have the members mentioned in column (5) of Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B).
- (3) The procedure for making promotions against reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued from time to time by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.
- (4) The Committee shall meet at least once in a year.

19. Conditions of eligibility for promotion.

- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 18, the Committee shall consider the cases of all persons who have rendered that number of years of service (whether officiating or substantively) in those posts or services on the 1st January of that year, mentioned in column (2) of the Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B), or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and which are within the scope of consideration in accordance with the provisions of subrule (2) of rule 18 and are coming within the zone of consideration.
- (2) The field of selection shall be as per the rules/instructions issued from time to time by the General Administration Department regarding promotion.

20. Consultation with the Commission/ Board.-

The recommendation of the Departmental Promotion Committee shall be deemed to have compliance of the requirement of the consultation with the Commission/Board under sub-clause (b) of clause (3) of article 320 and a separate consultation with the Commission/ Board shall not be necessary.

21. Select List.-

- (1) The appointing authority shall consider the list prepared by the Committee and if it does not consider any change necessary, it shall approve the list.
- (2) If the appointing authority considers it necessary to make any changes in the list, it shall finally approve the list along with such modifications, if any, recording the reasons therefore.
- (3) The list as finally approved by the appointing authority shall be the select list for promotion of members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B) to the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B).
- (4) The selection list ordinarily shall remain in force for one year or until it is reviewed or revised, but its validity shall not extend beyond a period of 18 months, from the date of preparation of such list:

Provided that in case of serious lapse in conduct or discharge of duties on the part of any person included in the select list, the select list may be reviewed specially by the committee constituted by the Government and if the committee deems appropriate, may remove the names of such persons, from the select list.

22. Preparation of the list of suitable candidates.-

(1) The list of suitable candidates shall be prepared according to the rules/ instructions issued by the General Administration Department from time to time. The names of the selected candidates included in the list shall be arranged in an order of service of posts on the basis of seniority at the time of preparation of such select list.

Provided that any junior person, who in the opinion of the Departmental Promotion Committee has specifically qualified and appropriate, shall be given a comparatively upper place.

- (2) A person whose name is included in the select list but is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.
- (3) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of the service, the Departmental Promotion Committee shall record its reasons in writing for the proposed supersession.
- (4) The list so proposed shall be reviewed and revised every year.

23. Appointment to the service from the select list.-

- (1) The appointment of the candidate included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall be made as per the provisions of sub-rule (1) of rule 22.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Departmental Promotion Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

24. Interpretation.-

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

25. Relaxation.-

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such a manner, as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favourable to him than that provided in these rules.

26. Saving.-

Nothing in these rules shall adversely affect reservations and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time.

27. Repeal.-

All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules. P.

Schedule-I (A)

(see rule 5)

Classification of service, Pay Scale and Number of Posts included in the service Clerical Cadre - Directorate of Health Services, Madhya Pradesh

No. included in the service		Classific ati-on	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<u> </u>		
Superintendent	10	Class-III	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) +	Commissioner, Health Services	As per Government of Madhya Pradesh, Finance Department's Order number F 8.1.2015 /Rule/4, dated
		1	Grade Pay 4200 Seventh Pay Scale Level no. 10	130	O7.06.2018, the revised Pay- Scales/Grade Pay shall be implemented from 01.01.2016 and the
			(42700-135100)		cash benefit shall be given from 01.07.2018 (payable in August 2018). Notional increments shall be given for the period from 01.01.2016 to 30.06.2018.
Assistant	5	- do -	Sixth Pay Scale	- do -	Same remark mentioned in column (1)
Superintendent		- 40 -	PB-2 (9300-34800) +	- 40 -	of S.No.1 and General Administration Department's Order No. F 2.6/1/
-	A 8		Grade Pay 3600 Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200-		V.A.P./96 dated 5/7 October, 2006. The pay scales shall be considered applicable from 01.04.2006.
			114800)		
Assistant Grade-1/ Assistant Grade-1	25	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) +	- do -	-
(Leprosy)	1.		Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700- 91300)		
Assistant Grade-II	57	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) +	- do -	
		4,	Grade Pay 2400		
			Seventh Pay Scale		
	× 1		Level no. 6 (25300- 80500)		
Assistant Grade-III	88	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) +	- d o -	
1 ×			Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale	_	_, " 11
		l t	Level no. 4 (19500- 62000)		
Assistant Storekeeper	1	- do -	Sixth Pay Scale PB-1	- do -	
			Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale		
Storekeeper				(5200-20200)+ Grade Pay 1900	(5200-20200)+ Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500-

S. No.	service	No. of Posts	Classifica -tion		Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Technical Assistant (E.P.I.)	1	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500-62000)	- do -	
8,	Field Evaluation Worker	16	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	General Administration Department's Order No. F 2.6/1/ V.A.P./96 dated 5/7 October, 2006. The pay scales shall be considered applicable from 01.04.2006.
			С	ategory – 2	//	
1.	Stores Inspection Officer	2	Class-III	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600 Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200-114800)	Commissioner, Health Services	
2.	Senior Auditor (Junior Auditor-6 posts included)	12	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3200 Seventh Pay Scale	- do -	Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Order No. F
		-		Level no. 8 (32800-103600)		2.6/1/ V.A.P./96 dated 5/7 October, 2006. The pay scales shall be considered applicable from 01.04.2006. These revised pay scales shall be applicable for future
						promotions/ recruitments
3.	Senior Accountant	2	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3200 Seventh Pay Scale Level no. 8 (32800-103600)	- do -	-
4.	Accountant (Chief Accountant 1 post included)	10	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)		Government of Madhya Pradesh, Finance Department's Circular No. F 8.6/ 2015/Rule /4, dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff) shall come into force from 1st January, 2016
	Junior Accountant (Purchase) / Junior Accountant (Store)	2	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2100 Seventh Pay Scale Level no. 5 (22100-70000)	- do -	

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classific- -tion	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)	(7)
				Category-3		
1,	Personal Assistant	13	Class-III	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600 Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200-114800)	- do -	• "
2.,	Stenographer (Hindi) Class-III	Stenographer 5 - do - Sixth Pay Scale PB-1 - do - (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)		-		
3.	Stenographer (English)	grapher 1 - do - Sixth Pay Scale PB-1 - do - (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)		K		
4.	Stenotypist	2	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500-62000)	- do -	
				Category-4		
1,	Sub-Editor	1	Class-III	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	Commissioner, Health Services	
2.	Publicity Assistant (BCG)	1	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	* s
	2.			Category-5		
1.	Programmer (5200-20200) + Grad Seventh Pay S		Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	Commissioner, Health Services	•	
2.	Data Entry Operator	3	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2100 Seventh Pay Scale Level no. 5 (22100-70000)	- do -	

Note:

Government of Madhya Pradesh, Finance Department's Circular No. F 8.6/2015/Rule/4, dated 19.07.2017, in the new structure, the Pay Scale of Junior Auditor has been made equivalent to the post of Accountant in 5200-20200+ GP Rs. 2800. As a result of earlier acceptance of the post of Junior Auditor in the pay scale of 5200-20200+ GP Rs. 2800 under the Department and the provisions of promotion on the said post from the post of Accountant, 6 posts out of 9 posts of Junior Auditor have been converted from the post of Accountant as per the new provision. The Committee has decided to merge the upcoming promotional posts into the post of Senior Auditor and hand over the remaining 3 posts to the Government.

Schedule-I (B)

(see rule 5)

Classification of service, pay scale and Number of Posts included in the service Clerical at Divisional/District level

Concerned Organization/Directorate of Health Services, Subordinate Office

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,	Office Superintendent	7	Class-III	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 4200 Seventh Pay Scale Level no. 10 (42700- 135100)	Regional Director	Government of Madhya Pradesh, Finance Department's Order No F 8.1. 2015 /Rule/4, dated 07.06.2018, the revise Pay Scales/Grade Pay shall be implemented from 01.01.2016 and the cash benefit shall be
	x .					given from 01.07.2018 (payable in August, 2018). Notional increments shall be given for the period from 01.01.2016 to 30.06.2018.
2.	Assistant Superintendent	5	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600	- do -	do
				Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200- 114800)		
3.	Junior Accounts Officer	4	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600	- do -	do
	1622	ı Vit		Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200- 114800)		
4.	Manager Medical	1	- do -	Sixth Pay Scale PB-1	- do -	do
	Store			(5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700- 91300)		
5.	Auditor (Senior	7	- do -	Sixth Pay Scale PB-2	- do -	Government of Madhya Pradesh,
-	Auditor)			(9300-34800) + Grade Pay 3200 Seventh Pay Scale Level no. 8 (32800-		General Administration Department's Order No./F-2- 6/1/V.A.P./96, dated 05/17 October, 2006 and the
	7 1 3			103600)		Government of Madhya Pradesh, Finance Department's Circular No. F 8-6/ 2015/Rule /4, dated
						19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff). shall come into force from 1 st January 2016

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classifica -tion	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Camp Coordinator	17	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	
7.	Accountant (M.D.T.)	2	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	8
8.	Assistant Grade-1 (Chief Clerk)	92	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	•
9.	Accountant	783	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)		Government of Madhy. Pradesh Genera Administration Department's Orde No./F-2-6/1/V.A.P./96,
						dated 05/17 October 2006 and the Government of Madhy. Pradesh Finance Department's Circula
						No. F 8-6/ 2015/Rule /4 dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scal- and promotion o Ministerial Service
			= 1			(Clerical Staff) shall come into effect from 1 st January, 2016
10.	Junior Auditor	7	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	1-9
11.	Assistant Accountant	50	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	E
	Accountant-cum- Storekeeper-cum Clerk	436	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	*
- 1	Assistant Grade-II / Cashier	543	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	

S. No.	service	No. of Posts	Classifica - tion	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	Computer	336	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2100 Seventh Pay Scale Level no. 5 (22100-70000)	- do -	
15.	Assistant Grade-III/Diet Clerk/Assistant Steward/Clerk- cum- Typist/ Computer-cum- Clerk/Record Keeper	901	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500-62000)	1.Regional Director for the posts of his office. 2.Chief Medical and Health Officer for the remaining posts of the district	
16.	Dietician	33	- do -	Sixth Pay Scale PB-1	Regional	
201		33	200	(5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	Director	
17.	Steward	71	- do -	Sixth Pay Scale PB-1	do	Government of Madhya
				(5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)		Pradesh General Administration Department's Order No./F-2-6/1/V.A.P./96, dated 05/17 October, 2006 and the Government of Madhya Pradesh Finance Department's Circular
					*	No. F 8-6/2015/Rule /4, dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff) shall come into effect from 1 st January, 2016
18.	Assistant Statistical Officer	131	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600 Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200-114800)	Commissioner, Health Services and for remaining posts, Regional Director, Health Services	

S. No.			Pay Scale	Appointing Authority	Remarks	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	Statistical Investigator (E.P.I.)	20	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	Government of Madhya Pradesh General Administration Department's Order No./F-2-6/1/V.A.P./96, dated 05/17 October, 2006 and the Government of Madhya Pradesh Finance Department's Circular No. F 8-6/2015/Rule /4, dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff) shall come into effect from 1st January, 2016
20.	Senior Computer (Leprosy)/ Statistical Investigator (Junior)	11	- do -	Sixth Pay PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	Tanuary, 2010
21.	Stenographer (Hindi) Class-III	35	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	Regional Director for his sub- ordinate posts	
22.	Computer Operator (Data Entry Operator)	79	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500-62000)	Chief Medical and Health Officer	

Schedule II (A) (see rule 6) Method of Recruitment

S.	Name of the	Name of Service	Total	Percer	tage of Number of Duty Posts to	be Filled	Remarks
No.	posts included in the Service		number of posts	By direct recruitment [rule-6 (i) (a)]	By promotion [rule-6 (i)(b)]	By transfer of persons from other services [rule-6 (i)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Categ	ory-1		
1.	Superintendent	Madhya Pradesh Public Health and Medical Education Department (Directorate of Health Services) Class-III Clerical and Non-Clerical Service	10		100%	3	
2.	Assistant Superintendent	- do -	5		100 %	**	1: O#:
2		40	25		75 %		As per the
3.	Assistant Grade-I/ Assistant Grade-I (Leprosy)	- do -	25	-	75 %		Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Order No/F-2-6/ 1/ V.A.P. /96, dated 05/17 October, 2006, in the
			- 4	5			context of point No. 5.4, 6. Out of the total sanctioned posts of Assistant Grade-I, 25 vacant posts of
						10	Assistant Grade-II, who have completed graduation and 5 years of regular service shall be filled through limited departmental examination.
4.	Assistant Grade-II	- do -	57	((#)	100%	-	~
5.	Assistant Grade-III	- do -	88	75 %	25 % (From candidates eligible for Class-IV service) who have passed		On the basis of merit from the list given by
6.	Assistant Storekeeper	- do -	1		the higher secondary school certificate Examination of the old Education system or the higher		the Madhya Pradesh Employees Selection Board.
7.	Technical Assistant (E.P.I.)	- do -	1		secondary school certificate examination (10+2) system and must have completed 5 years of regular service	_	
8.	Field Evaluation Worker	- do -	16	50%	50%		
				Categ		r	
1,	Stores Inspection Officer	- do -	2	•	100%	. •	
2.	Senior Auditor	- do -	12		75%	25 %	25% By deputation of officers of Sub- ordinate Accounts Service
3.	Senior Accountant	- do -	2	154	100%	•	
4.	Accountant	- do -	10		100%	•	
5.	Junior Accountant (Purchase)/Junior Accountant (Stores)	- do -	2	(S)	100%	2	20

S.	Names of posts	Name of Service	Total	Percentage o	of Number of Duty Pos	ts to be Filled	Remarks
No.	included in the service		number of posts	By direct recruitment [rule-6 (i)(a)]	By promotion See [rule-6 (i)(b)]	By transfer of persons from other services [rule-6 (i)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<u>C</u>	ntegory-3			
1,	Personal Assistant	- do -	13	5.50	100 %	(#I)	-
2.	Stenographer (Hindi) Class-III	- do -	5	50%	50% (vacant posts shall be filled by promotion of stenotypists possessing the desired qualifications. If sufficient number of desired qualified steno typists are not available, then the remaining posts of promotion quota shall be filled through direct recruitment.)		
3.	Stenographer (English)	- do -	1	100%			
4.	Stenotypist (English)	- do -	2	100%			
				Category-4	I.		=
1.	Sub-Editor	- do -	1	-	100%		
2.	Publicity Assistant (B.C.G.)	- do -	1	100%	-		*
				Category-5			
1:	Data Entry Operator	- do -	3	100%	9	<u> </u>	•
2.	Assistant Programmer	- do -	2		100%		л:

Schedule II (B)

(see rule 6)

Method of Recruitment

Division/District level - Clerical Cadre of Directorate of Health Services

S. No.		Name of Service	Total number of posts	Percentage of Number of Duty Posts to be Filled			Remarks
				By direct recruitment [Rule-6 (i)(a)]	By promotion [Rule-6 (i)(b)]	By transfer of persons from other services [Rule-6 (i)(c)]	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Office Superintendent	Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Division/District Level) Class-III Clerical Service	07		100%	27	
2,	Assistant Superintendent	- do -	5	- K	100%	(8)	100
3.	Junior Accounts Officer	- do -	4	•	100%	3	70
4,	Manager Medical Store	- do -	1		100%		
5,	Senior Auditor	- do -	7		100%	:#0	
6.	Camp Coordinator	- do -	17	×	100%	\$#)	
7	Accountant (M.D.T.)	- do -	02	2	100%		14
8.	Assistant Grade-I (Chief Clerk)	- do -	92	11	100%	: 5 1	1
9.	Accountant	- do -	783	•	100%		
10.	Junior Auditor	- do -	7		100%	*	
11/4	Assistant Accountant	- do -	50	•	100%		
12.	Accountant cum Storekeeper cum Clerk	- do -	436	•	100%		
13.	Assistant Grade-II / Cashier	- do -	543		100%	•	
14.	Computer	- do -	336	50%	50%		
15.	Assistant Grade-III/Diet Clerk/Assistant	- do -	901	75%	25%		Departmental Class- IV employees who
	Steward/Clerk-cum- Typist/Computer-cum- Clerk/Record Keeper						have passed the Higher Secondary School Certificate examination under the Old Higher Secondary
	7						or 10+2 educational system and who have completed five years of regular service.
16.	Dietician	- do -	33	50%	50%	•	:•):
17.	Steward	- do -	71	50%	50%		*
18.	Assistant Statistical Officer	- do -	131	80%	20%	\$	#A
19.	Statistical Investigator (E.P.I.)	- do -	20	50%	50%		
20.	Senior Computer / Statistical Investigator (Junior)	- do -	11	100%	•	120	•
21.	Stenographer (Hindi)	- do -	35	100%			
22.	Computer Operator (Data Entry Operator)	- do -	79	100%		•	Al Al

Schedule III (A)

(see rule 8)

Age and Qualification of Directly Recruited Employees Clerical - Directorate, Health Services Madhya Pradesh

S. No.	Name of Service	Minimum	Maximum	Prescribed educational qualification	Remarks				
D. 110.	Trame of Service	Age Limit		and experience					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
(1)	(2)	Category - 1							
1.	Assistant 18 Years 40 Years 1. It is mandatory for the candidate to * It is mentioned in the								
1.	Grade-III	10 10 10	10 1 0415	have passed 12th class examination	Circular No. C-3-7/2015/1/3				
	/Assistant			under (10+2) system.	of Government of Madhya				
+	Storekeeper/	- 1		2. It is mandatory to pass the certificate	Pradesh, General				
	Technical			(score card) of Computer Proficiency	Administration Department,				
	Assistant			Certification Test (CPCT) conducted	issued on 29th May, 2019				
l a	7 IBBIOTESIT			by the Department of Science and	that the Universities of the				
				Technology;	State are not granting the				
				3. It is mandatory to pass one year	Degree of B.Sc. (I.T./C.S.)				
- 1				Computer Diploma / Certificate	but only Degree of B.Sc is				
-				examination from any one of the	granted. Therefore, it is				
				following recognized institutions:-	clarified in this regard that				
		- 1	7	(i) Diploma from any University	the holder of B.Sc. Degree				
i				recognized by U.G.C	granted by the University				
				(ii) Diploma from any Open University	shall be deemed to have				
				recognized by UGC.	passed the B.Sc.				
				(iii) D.O.E.A.C.C. Examination of the	examination in				
				diploma level .	IT/Computer Science with				
			47	(iv) Modern Office Management Course	other subjects, then on the				
				from Government Polytechnic	basis of the marksheet of				
	- 0			College.	IT/Computer Science shall				
				(v) One year Computer Operator and	be considered equivalent to				
				Programming Assistant (COPA)	B.Sc. (I.T/C.S.).				
				certificate granted by the National					
	-			Council of Vocational Training					
	(8) a			(NCVT), New Delhi or the State					
				Council of Vocational Training	1, 1				
				(SCVT) Madhya Pradesh.					
				4. Apart from computer diploma from the					
				above recognized institutions, the					
				following qualifications shall also be					
				valid:					
				(i) B.E. (CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc. (ITCS)/					
		241		*B.Sc. (IT/CS) M.Tech/ M.E., etc.					
				(ii) Polytechnic Diploma in Computer					
1				Science/Computer Application and					
				Information Technology etc.	and so				
				approved by AICTE.					
				5. B.Sc. / B.Com. / Degrees which involve					
100		ν.		teaching of only one computer subject shall not be valid.					
				shall not be valid.					

Ī	S.	Name of Service	Minimum	Maximum	Prescribed educational qualification	Remarks
	No.		Age Limit		and experience	
Ì	2.	Stenographer	18 Years	40 Years	1. Higher Secondary School Certificate	* It is mentioned in the
1		(Findi) Class-III			Examination passed Higher Secondary	Circular No. C-3-7/2015/1/3
					Examination Under (10+2) system.	of Government of Madhya
					2. Certificate of passing Hindi shorthand	Pradesh, General
					at the speed of 100 words per minute	Administration Department,
		-			from recognized institutions/council.	issued on 29th May, 2019
1			a		3. It is mandatory to pass the certificate	that the Universities of the State are not granting the
1					(score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted	Degree of B.Sc. (I.T./C.S.)
	- 1				by the Department of Science and	but only Degree of B.Sc is
			-		Technology;	granted. Therefore, it is
					4. It is mandatory to pass one year	clarified in this regard that
					Computer Diploma/Certificate	the holder of B.Sc. Degree
		9		1	examination from any one of the	granted by the University
			-		following recognized institutions:-	shall be deemed to have
			1		(i) Diploma from any University	passed the B.Sc.
		- II		-	recognized by U.G.C.	examination in
					(ii) Diploma from any Open University	IT/Computer Science with
			-		recognized by UGC. (iii) D.O.E.A.C.C. Examination of the	other subjects, then on the basis of the marksheet of
		C			diploma level.	IT/Computer Science shall
					(iv) Modern Office Management Course	be considered equivalent to
ş	1	40 .			from Government Polytechnic	B.Sc. (I.T/C.S.).
1		N		- 1	College.	` '
4			4 . 8		(v) One year Computer Operator and	
					Programming Assistant (COPA)	
					certificate granted by the National	
1	11	7-			Council of Vocational Training	
					(NCVT), New Delhi or the State	-
	- 6				Council of Vocational Training	
		27			(SCVT) Madhya Pradesh. 5. Apart from computer diploma from the	-
					above recognized institutions, the	
			×		following qualifications shall also be	
			"		valid:	
		-			(i) B.E. (CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc.	
1					(I.T.C.S.) /*B.Sc. (IT/CS) M.Tech	
		· .			/M.E., etc.	
			. 1	-	(ii) Polytechnic Diploma in Computer	
			-		Science/Computer Application and	
					Information Technology etc.	
					approved by AICTE.	
					6. B.Sc./B.Com./Degrees which involve teaching of only one computer subject	
		15			shall not be valid.	
L					Budii not be fand.	

S.	Name of Service	Minimum	Maximum	Prescribed educational qualification	Comments
No.		Age Limit	Age Limit	and experience	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Sunographer	18 Years	40 Years	1. Higher Secondary School Certificate	* It is mentioned in the
	(English)			Examination passed Higher Secondary	Circular No. C-3-7/2015/1/3
				Examination Under (10+2) system.	of Government of Madhya
				2. Certificate of passing English shorthand	Pradesh, General
				at the speed of 100 words per minute	Administration Department,
				from recognized institutions/council.	issued on 29th May, 2019
	40			3. It is mandatory to pass the certificate	that the Universities of the
12		-		(score card) of Computer Proficiency	State are not granting the
				Certification Test (CPCT) conducted	Degree of B.Sc. (I.T./C.S.)
				by the Department of Science and	but only Degree of B.Sc is
				Technology;	granted. Therefore, it is
			r	4. It is mandatory to pass one year	clarified in this regard that
				Computer Diploma/Certificate	the holder of B.Sc. Degree
				examination from any one of the	granted by the University
				following recognized institutions:	shall be deemed to have
	^ -		- 1	(i) Diploma from any University	passed the B.Sc.
				recognized by U.G.C.	examination in
				(ii) Diploma from any Open University	IT/Computer Science with
-	-	-	5	recognized by UGC.	other subjects, then on the
				(iii) D.O.E.A.C.C. Examination of the	basis of the marksheet of
				diploma level.	IT/Computer Science shall
				(iv) Modern Office Management Course	be considered equivalent to B.Sc. (I.T/C.S.).
				from Government Polytechnic College.	D.St. (1.1/C.S.).
0		- "		(v) One year Computer Operator and	
				Programming Assistant (COPA)	0
				certificate granted by the National	
	the part of		2 . 3	Council of Vocational Training	2
	- 1			(NCVT), New Delhi or the State	
		-		Council of Vocational Training	
	5 5			(SCVT) Madhya Pradesh.	
				5. Apart from computer diploma from the	
				above recognized institutions, the	x ,
				following qualifications shall also be	
-			, pe	valid:	
		× 14		(i) B.E. (CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc.	
0				(I.T.C.S.) /*B.Sc. (IT/CS) M.Tech	
				/M.E., etc.	. **
	- 42			(ii) Polytechnic Diploma in Computer	
				Science/Computer Application and	
	a m l			Information Technology etc.	
		81		approved by AICTE.	
				6. B.Sc/B.Com/Degrees which involve	
			V	teaching of only one computer subject	A , 28
				shall not be valid.	
4.	Field Evaluation	21 Years	40 Years	Graduation Degree in Economics,	
	Worker			Mathematics, Commerce or Statistics or	·
	3			BE/B.Tech. Degree.	

No. (1) 5.	(2) Stenotypist	(3) 18 Years	Age Limit (4) 40 Years	and experience (5) 1. Passed Higher Secondary Examination in Higher Secondary School Certificate	(6) * It is mentioned in the
(1)	(2)			1. Passed Higher Secondary Examination in	* It is mentioned in the
5.	Stenotypist	18 Years	40 Years		
				Examination under (10+2) pattern.	Circular No. C-3-7/2015/1/3 of Government of Madhya
				Speed of 80 words per minute in Hindi shorthand from recognized Institutions/Council.	Pradesh, General Administration Department, issued on 29 th May, 2019
				3. It is mandatory to pass the certificate (score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and Technology;	that the Universities of the State are not granting the Degree of B.Sc. (1.T./C.S.) but only Degree of B.Sc is
				4. It is mandatory to pass a one -year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following recognized institutions:.	granted. Therefore, it is clarified in this regard that the holder of B.Sc. Degree granted by the University
				(i) Diploma from any university recognized by U.G.C	shall be deemed to have passed the B.Sc.
				(ii) Diploma from any Open University recognized by UGC.	examination in IT/Computer Science with
				(iii) D.O.E.A.C.C. Diploma level Examination	other subjects, then on the basis of the marksheet of
				(iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.	IT/Computer Science shall be considered equivalent to
		-		(v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate granted by the National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training (SCVT) Madhya Pradesh.	B.Sc. (1.T/C.S.).
				5. In addition to computer diploma from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid:	
			- 1	(i) B.E.(CSE/IT)/MCA/BCA /M.Sc. (ITCS)/ *B.Sc. (IT/ CS) M.Tech/ M.E, etc.	
				(ii) AICTE Polytechnic Diploma in Computer Science/Computer Application and Information Technology etc.	
				6. B.Sc/B.Com/Degrees which involve teaching of only one computer subject shall not be valid.	
	ANT COMMISSION OF THE PARTY OF	,		Category - 4	
	Publicity Assistant (B.C.G.)	18 Years	40 Years	Bachelor of Arts with Hindi, Political Science, Sociology 3 years experience in Journalism	

S.	Name of Service	1	Maximum	Prescribed educational qualification	Remarks
No.	(h)	Age Limit	Age Limit	and experience	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Category - 5	
7.	Data Entry	21 Years	40 Years	1. Higher Secondary School Certificate	* It is mentioned in the
	Operator			Examination passed Higher Secondary	Circular No. C-3-7/2015/1/3
				Examination Under (10+2) system.	of Government of Madhya
				2. It is mandatory to pass the certificate	Pradesh, General
				(score card) of Computer Proficiency	Administration Department,
				Certification Test (CPCT) conducted	issued on 29th May, 2019
				by the Department of Science and	that the Universities of the
				Technology.	State are not granting the
				3. It is mandatory to take a one -year	Degree of B.Sc. (I.T./C.S.)
				Computer Diploma / Certificate	but only Degree of B.Sc is
				Examination from any one of the	granted. Therefore, it is
				following recognized institutions -	clarified in this regard that
				(i) Diploma from any university	the holder of B.Sc. Degree
				recognized by U.G.C.	granted by the University
	7			(ii) Diploma from any free university	shall be deemed to have
		*		recognized by Pupdh UGC.	passed the B.Sc.
				(iii) Examination of the diploma level.	examination in
				(iv) Modern Office Management Course	IT/Computer Science with
	1 1 1			from Government Polytechnic College.	other subjects, then on the
1	1 7 7 7			(v) One year Computer Operator and	basis of the marksheet of
1		-		Programming Assistant (COPA)	IT/Computer Science shall
			-	certificate granted by the National	be considered equivalent to
		1		Council of Vocational Training	B.Sc. (I.T/C.S.).
				(NCVT), New Delhi or the State	(2.17.6.54).
				Council of Vocational Training	
	1 5	- 1		(SCVT), Madhya Pradesh.	
				4. In addition to computer diplomas from	
				the above recognized institutions, the	
1				following qualification shall also be	
		-		valid -	
			1. 1	(i) B.E.(CSE/IT)/MCA/BCA /M.Sc.	j e k
	-	2.5		(ITCS)/ *B.Sc. (IT/ CS) M.Tech/ M.E,	, n
				etc.	
			1	(ii) Polytechnic Diploma in Computer	
		- 1	- 1	Finance/Computer Application and	
		1		Information Technology etc.	
				5. B.Sc/B.Com/degrees which include	A 4
	, ·		-	only a subject of computer shall not be	
			1	valid.	
		= E,		5. Two years experience of online data	V* ,
			10	entry work.	
				*	
				Mini and Micro Computer Handling	
	- 1		0	Experience	
			8	. Programming language experience	

Schedule III (B)

(see rule 8)

Age and Qualification of Directly Recruited Employees Divisional / District Level - Clerical Cadre Director Health Services Madhya Pradesh

S. No.	Name of Service	Minimum Maximum Age Limit Age Limit		Prescribed educational qualification and experience	Remarks	
(1)	(2)	(3) (4)		(5)	(6)	
No.		Age Limit	40 Years	1. It is mandatory to pass 12th class examination under the (10+2) system. 2. It is mandatory to pass the certificate (score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and Technology. 3. It is mandatory to take a one -year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following recognized institution: (i) Diploma from any university recognized from UGC. (ii) Diploma from any free university recognized by UGC. (iii) Diploma level Examination from the DOEACC. (iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College. (v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate granted by the National Council of Vocational Training (CNVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training (CSVT), Madhya Pradesh. 4. In addition to computer diplomas from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid:-	(6) * It is mentioned in the	
2.2			120	 (i) B.E.(CSE/IT)/MCA/BCA /M.Sc. (ITCS)/ *B.Sc. (IT/ CS) M.Tech/ M.E, etc. (ii) Polytechnic Diploma in Computer Science / Computer Application and Information Technology etc. 5. B.Sc/B.Com/Degrees which involve teaching of only one computer subject shall not be valid. 		

S. ¹	Name of Service	Minimum	Maximum	Prescribed educational qualification	Remarks
No.	Age Limit Age Limit and experience		and experience		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Computer	21 Years	40 Years	Graduation in Mathematics, Statistics, Commerce, or Economics or B.E./B.Tech. degree	
3.	Dietician	21 Years	40 Years	 M.Sc. (Home Science) Passed or B.Sc. (Home Science in II Division) It is mandatory to have one of the subjects Dietetics 	-
4.	Assistant Statistical Officer	21 Years	40 Years	Postgraduate degree in II Division in Commerce / Statistics / Economics or Mathematics.	
5.	Senior Computer; /Statistical Investigator (Junior)	21 Years	40 Years	Postgraduate in II Division in Statistics, Mathematics, Commerce, Economics.	
6.	Statistical Investigator	21 Years	40 Years	Postgraduate degree in Statistics, Mathematics, Commerce, or Economics in the second class or BE/B.Tech. degree.	
7.	Steward	21 Years	40 Years	B.Sc. Home Science that have a subject dietetics.	•

S. / Name of Service Minimum Maximum		1	Remarks		
No.	8 8		and experience		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Computer Operator (Data	21 Years	40 Years	Higher Secondary School Certificate Examination passed Higher Secondary	* It is mentioned in the Circular No. C-3-7/2015/1/3
	Entry Operator)	F 4		Examination Under (10+2) system. 2. It is mandatory to pass the certificate	of Government of Madhya Pradesh, Genera
				(score card) of Computer Proficiency	Administration Department
				Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and	issued on 29th May, 201th that the Universities of the
				Technology. 3. It is mandatory to take a one -year	State are not granting the Degree of B.Sc. (I.T./C.S.
			= ,	Computer Diploma / Certificate	but only Degree of B.Sc i
				Examination from any one of the following recognized institutions:.	clarified in this regard that
				(i) Diploma from any University recognized by U.G.C.	the holder of B.Sc. Degree granted by the Universit
	_			(ii) Diploma from any free University recognized by UGC.	shall be deemed to have passed the B.Se
				(iii) Examination of the diploma level.(iv) Modern Office Management Course	examination i
	. 10			from Government Polytechnic College.	other subjects, then on the
				(v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA)	basis of the marksheet of IT/Computer Science sha
	* · · · /			certificate granted by the National Council of Vocational Training	be considered equivalent to B.Sc. (I.T/C.S.).
				(NCVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training	
	. %		-	(SCVT), Madhya Pradesh. 4. In addition to computer diplomas from	
	**	5		the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid:.	
				(i) B.E.(CSE/IT)/MCA/BCA /M.Sc. (ITCS)/*B.Sc. (IT/ CS) M.Tech/ M.E,	
	0 '10'	×	N. Inter	etc. (ii) Polytechnic Diploma in Computer	
-				Finance/Computer Application and Information Technology etc.	
				B.Sc/B.Com/degrees which include only a subject of computer shall not be	
				valid.	
		т -		6. Two years' experience of online data entry work.	
				7. Mini and Micro Computer Handling Experience	
				8. Programming language experience	

S.	Name of Service	Service Minimum Maximum		Prescribed educational qualification	Remarks
No.		Age Limit Age Limit		and experience	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Stenographer	18 Years	40 Years	1. Higher Secondary School Certificate	* It is mentioned in the
	(Hindi) Class-III			Examination passed Higher	Circular No. C-3-7/2015/1/3
				Secondary Examination Under	of Government of Madhya
				(10+2) system.	Pradesh, General
				2. Certificate of Hindi shorthand at a	Administration Department,
				speed of 100 words per minute from	issued on 29th May, 2019
				recognized institutions / council.	that the Universities of the State are not granting the
				3. It is mandatory to pass the certificate	Degree of B.Sc. (I.T./C.S.)
	-			(score card) of Computer Proficiency	but only Degree of B.Sc is
				Certification Test (CPCT) conducted	granted. Therefore, it is
				by the Department of Science and	clarified in this regard that
ř .				Technology.	the holder of B.Sc. Degree
	6			4. It is mandatory to take a one -year	granted by the University
				Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the	shall be deemed to have
			_	following recognized institutions -	passed the B.Sc.
				(i) Diploma from any University	examination in IT/Computer Science with
				recognized by U.G.C	other subjects, then on the
	12.4			(ii) Diploma from any free University	basis of the marksheet of
	±1			recognized by UGC.	IT/Computer Science shall
		2	A.	(iii) Examination of the diploma level.	be considered equivalent to
		P 10		(iv) Modern Office Management Course	B.Sc. (I.T/C.S.).
	- 1			from Government Polytechnic	_ ^
				College.	
	× × ×	-		(v) One year Computer Operator and	
		- 1		Programming Assistant (COPA)	3
		-1		certificate granted by the National	
				Council of Vocational Training	
		- 1		(NCVT), New Delhi or the State	0.00
	2.			Council of Vocational Training (SCVT), Madhya Pradesh.	
			22	5. In addition to computer diploma from	
		- 12	41	the above recognized institutions, the	
				following qualification shall also be	
				valid:	
				(i) B.E.(CSE/IT)/MCA/BCA /M.Sc.	
			1	(ITCS)/ *B.Sc. (IT/ CS) M.Tech/	
			- 17	M.E, etc.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				(ii) Polytechnic Diploma in Computer	
				Finance/Computer Application and	
			727	Information Technology etc.	
			- 1	6. B.Sc/B.Com/Degrees which involve	
		v 3		teaching of only one computer subject	25
				shall not be valid.	

Schedule IV (A)

(see rulc 14)

Member of Promotion System, necessary experience and Departmental Promotion Committee Clerical Cadre - Director Health Services Madhya Pradesh

S. No.	The name of post from which promotion is to be made	The name of post to which promotion is to be made	Compulsory requisite experience for that post	Names of members of departmental promotion committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Category-1		
1.	Assistant Superintendent/ Stores Inspection Officer /Senior	Superintendent	5 Years	Additional Director/Joint Director (Administration) - Chairman Joint Director - Member	
	Auditor/Senior Accountant			Deputy Director (Office establishment) - Member Administrative Officer (Office Establishment)	
				- Member-Secretary 5. Equivalent officer belongs to Scheduled Castes /Scheduled Tribes/Other Backward Classess category - Member	
2.	Assistant Grade-I	Assistant superintendent	5 Years	category - Member - do -	
3.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 Years	- do -	-
4.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 Years	- do -	iù
5.	Assistant Grade-III	Field Evaluation worker	Bachelor of Mathematics, Statistics, Commerce, or Economics Service Experience - 5 Years	- do -	
			Category -2		
1.	Senior Auditor (Departmental) / Senior Accountant	Store inspection officer	2 Years	- do -	-
2.	Accountant	Senior Auditor / Senior Accountant	Based on consent letter. S Years Passed Accounting Training	- do -	
		Accountant	Examination. [On passing the Sub-Accounts Services (SAS) examination, the pay scale shall be payable to the senior auditor 9300-34800+3600		
3.	Assistant Grade-II / Junior	Accountant	Grade Pay] 1. Based on consent letter. 2. 5 Years	- do -	
	Accountant (purchasing) or store / Assistant Grade-III		 Passed Accounts Training examination. 3 years for Junior Accountant (Purchasing / Store) and 8 years for Assistant Grade-III. 		

S. No.	The name of post from which promotion is to be made	The name of post to which promotion is to be made	Compulsory requisite experience for that post other	committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Assistant Grade-III	Junior Accountant (Purchasing or Store)	 Based on consent letter. 3 Years experience Passed Accounts Training Examination. 	- do -	
			Category -3	50.000	
1.	Stenographer (Hindi / English) Class-III	Personal Assistant	05 Years	- do -	•
2.	Stenotypist	Stenographer (Hindi) Class-II	 On completion of the prescribed qualification for appointment to the post of Stenographer (at a speed of 100 words per minute). Such Stenotyptists, who do not fulfill the prescribed qualification for the post of Stenographer, shall be eligible for promotion to the post of Assistant Grade-II. 	- do -	Government of Madhya Pradesh Finance Department's Circular No. F 8-6/2015/Rule /4, dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff). shall come into force from 1st January, 2016
			Category -4		
1.	Publicity Assistant (B.C.G.)	Deputy Editor	05 Years	- do -	
		7-1	Category -5		
1.	Data Entry Operator	Assistant Programmer	Computer Application Course from a recognized University / Institute	- do -	•

Notes:

- As per the Circular No. F 8-6/2015/Rules/Four of the Finance Department, Government of Madhya Pradesh issued on 19th July, 2017 amendments relating to the creation of post, pay scale and promotion for Ministerial Services (Clerical Staff) shall be applicable from 1st January, 2016.
 - (a) By the Circular No. F 8-6/2015/Rules/Four of the Finance Department, Government of Madhya Pradesh issued on 19th July, 2017, Assistant Grade-I /Accountant/Auditor /Chief Clerk is sanctioned a revised pay scale of P.B.-1 (5200-20200) + 2800 G.P. from 1st January, 2016. In pursuance of Circular dated 19th July, 2017 of the Finance Department, Government of Madhya Pradesh, the Accountant of the Directorate who are promoted to the post of Junior Auditor shall be eligible for the sanctioned pay scale of Senior Auditor P.B.-2 (9300-34800) + 3200 G.P.

- (b) As per the Circular No. F 8-6/2015/Rules/Four of the Finance Department, Government of Madhya Pradesh issued on 19th July, 2017, in the new structure the pay scale of Junior Auditor is P.B.-1 (5200-20200) + G.P. 2800 is made equivalent to the post of Accountant. Due to sanctioned of post of Junior Auditor in the pay scale of P.B.-1 (5200-20200) + G.P. 2800 under the department previously and as a result of provision of promotion on the said post from the post of Accountant, the 9 posts of Junior Auditor is merged in the next promotion post of Accountant i.e. post of Senior Auditor, as per the new provision.
- 2. Such Class-IV employees who have the desired educational qualification for appointment to the post of Assistant Grade-III, should be appointed on the said post with the condition on the probation period of 2 years with the condition that they were organized by the Department of Science and Technology during this period. It shall be compulsory to have a Computer Proficiency Certification examination (CPCT) certificate (score card) and it shall be mandatory to get a one -year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following, namely:-
 - (i) Diploma from any University recognized by the U.G.C.
 - (ii) Diploma from any free University recognized by the U.G.C.
 - (iii) DOEACC Examination of the diploma level.
 - (iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.
 - (v) One -year "Computer Operator and Programming Assistant" (C.O.PA.) Certificate provided by National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or State Vocational Training Council (SCVT), Madhya Pradesh.
- 3. In addition to computer diploma from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid:-
 - (i) B.E. (CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc (IT / CS) / B.Sc. (IT/ CS)/ M.Tech/ M.E. and so on .
 - (ii) AICTE Polytechnic Diploma in Computer Finance/Computer Application and Information Technology etc.
- 4. B.Sc/B.Com/degrees which include only a subject of computer shall not be valid.
- 5. If this qualification is not obtained by the concerned employee in the probation period of 2 years, then they shall be reverted to their original Class-IV post.
- 6. Class-IV employees above the age of 45 years shall be exempted from the condition supra in point No. 5.

Schedule IV (B)

(see rule 14)

Member of Promotion System, necessary experience and Departmental Promotion Committee Division / District Level Clerical Cadre

Sub-ordinate offices under Directorate of Health Services

S. No.	The name of post from which promotion is to be made	The name of post to which promotion is to be made	Compulsory requisite experience for that post other	Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Î.	Assistant Superintendent/Junior Accounts Officer/Auditor (Senior Auditor)	Office Superintendent	5 Years	Divisional Promotion Committee 1. Senior most Chief Medical and Health Officer – Chairman 2. Deputy Director, Health
				Services (Malaria or Leprosy Officer Grade-I) - Member 3. District Family Welfare cum Health Officer (DHO) - Member 4. Equivalent officer belongs to SC/ ST/OBC category - Member
2.	Accountant / Assistant Grade-I (Chief Clerk) / Camp Coordinator / Accountant (M.D.T.)	Assistant Superintendent / Junior Accounts Officer /Auditor (Senior Auditor)	3 years Passed accounting training for Junior Accounts Officer/ Auditor (Senior Auditor)	do
3.	Assistant Grade-II /Steward/Cashier/Assistant Accountant / Junior Auditor /Accountant-cum- Storckeeper-cum-Clerk	Accountant / Assistant Grade-I (Chief Clerk) / Camp Coordinator / Manager Medical Store / Accountant (MDT)	1. 3 years 2. Passed Accounts Training Examination (for the post of Accountant/Account ant (M.D.T.)	do:=:==
4.	Assistant Grade-III / Assistant Steward (Steward Junior) / Clerk-cum-Typist / Computer-cum-Clerk	Assistant Grade-II/ Steward/Cashier/Assist ant Accountant/Junior Auditor/Accountant- cum -Steward -cum- Clerk	5 Years	do
5.	Assistant Grade-III/Clerk- cum- Typist/Computer-cum- Clerk	Computer	3 Years	do
6.	Assistant Steward (Steward Junior)	Steward	5 Years	do
7.	Steward	Dietitian	5 Years	do

S.	The name of post from	The name of post to	Compulsory requisite	Names of members of
No.	which promotion is to be	which promotion is to	experience for that post	Departmental Promotion
	made	be made	other	Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Statistics Investigator / Senior	Assistant Statistical	(1) Three years experience	Directorate Promotion
	Computer / Field Evaluation	Officer	in Statistical	Committee
	Worker/ Accountant		Investigator / Field	1. Additional Director/Joint
	(Directorate)		Assessment	Director (Administration)
			Worker/Accountant	- Chairman
			(Directorate)	2. Joint Director
			(2) Five years experience	– Member
			in Senior	3. Deputy Director (Estt.)
			Computer/Statistical	- Member
		= _	Investigator (Junior)	4. Administrative Officer
				(Estt.)
				– Member-Secretary
				5. Equivalent officer
				belongs to Scheduled
				Castes/Scheduled Tribes
				Other Backward
				Classes category
_				- Member
9.	Senior Computer/ Statistics	Statistical Investigator	3 Years	Divisional Promotion
	Investigator (Junior)			Committee
				1. Senior most Chief
				Medical and Health
				Officer - Chairman
			2 1	2. Deputy Director, Health
				Services (Malaria or
		-		Leprosy Officer Grade-I)
				- Member
-]				3. District Family Welfare-
				cum-Health Officer
			7 20	– Member
				4. Equivalent officer
				belongs to Scheduled
				Castes/Scheduled Tribes
	, x			/Other Backward
		- N	0 0 2	Classes category
		- 1 x		- Member

Note -

- 1. Such Class-IV employees who have the desired educational qualification for appointment to the post of Assistant Grade-III, shall be appointed on the said post with the condition on the probation period of 2 years with the condition that they were organized by the Department of Science and Technology during this period. It shall be compulsory to have a Computer Proficiency Certification Test (CPCT) certificate (score card) and it shall be mandatory to get a one year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following, namely:-
 - (i) Diploma from any University recognized by the U.G.C.
 - (ii) Diploma from any free University recognized by the U.G.C.
 - (iii) DOEACC Examination of the diploma level.

- (iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.
- (v) One year "Computer Operator and Programming Assistant" (C.O.PA.) Certificate provided by National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or State Vocational Training Council (SCVT), Madhya Pradesh.
- 2. In addition to computer diploma from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid:-
 - (i) B.E. (CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc (IT / CS) / B.Sc. (IT / CS) / M.Tech/ M.E. and so on .
 - (ii) AICTE Polytechnic Diploma in Computer Finance/Computer Application and Information Technology etc.
- 3. B.Sc/B.Com/degrees which include only a subject of computer shall not be valid.
- 4. If this qualification is not obtained by the concerned employee in the testing period of 2 years, then they shall be reverted to their original Class-IV post.
- 5. Class-IV employees above the age of 45 years shall be exempted from the condition supra in point No. 4.

Schedule-V
Cl. / sification into District, Division and State Cadre for the Purpose of Seniority of the Posts Mentioned in Schedule-I (a) and (b)

District Level	No.	Division Level	No.	State Level
Nill		Schedule-I (b)		All posts of Schedule-I (a)
	1.	Accountant	1.	Office Superintendent (Division)
	2.	Junior Auditor	2.	Junior Accounts Officer
	3.	Assistant Accountant	3.	Assistant Superintendent
	4.	Accountant-cum-Storekeeper- cum- Clerk	4.	Management Medical Store
	5.	Assistant Grade-II/Cashier	5.	Senior Auditor
	6.	Computer	6.	Camp Coordinator
	7.	Assistant Grade-III/Steno Typist/	7.	Accountant (MDT)
		Diet Clerk/Assistant Steward/		
		Computer cum Clerk/Clerk-cum-		
		Typist/Record Keeper		
	8.	Steward	8.	Accistant Grade-I (Chief Clerk)
	9.	Data Entry Operator	9.	Dietitian
			10.	Assistant Statistics Officer
			11.	Statistical Investigator
			12.	Senior Computer (Leprosy)
		· 18	13.	Stenographer

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MAYANK AGARWAL, Dy. Secy.